"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 मई 2016—वैशाख 16, शक 1938

विषय—सूची



# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 अप्रैल 2016

क्रमांक ई-1-01/2016/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री अमन कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, आवास एवं पर्यावरण विभाग, तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष, नया रायपुर विकास प्राधिकरण को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2016

क्रमांक ई-1-10/2016/1/2.—छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2015 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण की समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिये उनके नाम से सामने दर्शाये जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है :—

| स. क्र. | अधिकारी का नाम | पदस्थापना |
|---|---|---|
| 1. | श्री डी. राहुल वेंकट | सहायक कलेक्टर, जिला-जगदलपुर, बस्तर |
| 2. | श्री हैरिस एस. | सहायक कलेक्टर, जिला-बिलासपुर |
| 3. | सुश्री नुपूर राशि पन्ना | सहायक कलेक्टर, जिला-सरगुजा |
| 4. | श्री प्रभात मलिक | सहायक कलेक्टर, जिला-रायगढ़ |
| 5. | श्री विजय दयाराम के. | सहायक कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव |

2. उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर, कार्य ग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विवेक ढाँड,** मुख्य सचिव.

---

## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 2-43/2012/नौ/55-तीन.—छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा-व्यवसायी अधिनियम, 1970 (क्र. 5 सन् 1971) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची में :—

अनुसूची के भाग "क" के सरल क्रमांक 16 में, कॉलम सं. (3) की प्रविष्टि "आयुर्वेद धनवंतरी (मास्टर ऑफ सर्जरी आयुर्वेद) शल्य तंत्र-सामान्य" तथा कॉलम सं. (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि "एम.एस. (आयुर्वेद) शल्य तंत्र-सामान्य (2013 से आगे)" के नीचे निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | "बैचलर ऑफ नैचरोपैथी एण्ड यौगिक साइंस | बी.एन.वाय.एस. |
| | | बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी | बी.यू.एम.एस." |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आलोक अवस्थी,** संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 2-43/2012/नौ/55-तीन.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26-04-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आलोक अवस्थी,** संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 26th April 2016

No. F 2-43/2012/9/55-3.—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Chhattisgarh Ayurvedic, Unani tatha Prakritic Chikitsa-Vyavasayi Adhiniyam, 1970 (No. 5 of 1971), the State Government hereby, makes the following further amendment in the schedule of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said Act :—

In Serial Number 16 of Part "A" of the Schedule, in column No. (3), below entry "Ayurveda Dhanwantri (Master of Surgery Ayurveda) Shalya Tantra-Samanya" and corresponding entry "M.S. (Ayurveda) Shalya Tantra-Samanya (from 2013 onwards)" in column No. (4), the following shall be added, namely :—

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | "Bechelor of Naturopathy and Yogik Science | B.N.Y.S. |
| | | Bachelor of Unani Medicine and Surgery | B.U.M.S." |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ALOK AWASTHI, Joint Secretary.

## गृह (पुलिस) विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2016

### संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-25/2014/गृह-दो.—विभागीय समसंख्यक द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25-02-2016 में उल्लेखित "थाना के प्रभारी पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी" के स्थान पर "थाना के प्रभारी उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**डी. के. माथुर,** उप-सचिव.

## वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
## मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2016

क्रमांक एफ 20-102/2015/ग्यारह/(छ:).—"औद्योगिक नीति 2014-19" की कंडिका 15.23 द्वारा प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 01 नवंबर 2014 से निम्नलिखित नियम बनाता है :—

1. **परिचय**— राज्य में समग्र औद्योगिक विकास के लक्ष्य की पूर्ति हेतु औद्योगिक अधोसंरचना का विकास भी आवश्यक है. राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का कार्य शासन के निगमों/एजेंसियों द्वारा ही किया जाता रहा है. राज्य में औद्योगिक भूमि की बढ़ती हुई मांग को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों की स्थापना निजी क्षेत्र में भी कराने हेतु राज्य शासन द्वारा पहल की जावे. औद्योगिक अधोसंरचना के तीव्र विकास हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए निजी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना महत्वपूर्ण है. इसे दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा "औद्योगिक नीति 2014-19" में निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना का प्रावधान रखा है, जिसमें अधोसंरचना लागत (भूमि को छोड़कर) का 30% अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक का अनुदान, स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट, भूमि के पंजीयन शुल्क में पूर्ण छूट एवं भू-पुनर्निर्धारण कर में शतप्रतिशत छूट का प्रावधान है. साथ ही इन पार्कों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भी राज्य की प्रचलित औद्योगिक नीतियों एवं अधिसूचनाओं के तहत् औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता है.

   निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्कों की स्थापना से सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा की स्थिति निर्मित होगी, भू-अर्जन/निजी भूमि के अधिकाधिक क्रय पर भी रोक लगेगी. इससे राज्य के कृषक/डेव्हलपर व उद्योगपति जिनके पास कृषि भूमि/औद्योगिक भूमि की अधिक मात्रा उपलब्ध है वे औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित होंगे व सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को भी युक्तियुक्त दरों पर औद्योगिक भूमि प्राप्त होने में सुगमता होगी.

2. **शीषर्क**— ये नियम "छत्तीसगढ़ राज्य निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना अनुदान नियम 2014" कहे जायेंगे.

3. **कालावधि**— ये नियम 1 नवम्बर 2014 से लागू मान्य किये जावेंगे, व इसकी कालावधि 31 अक्टूबर 2019 तक होगी.

4. **पात्रता**— निजी औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु निम्नांकित अर्हताओं की पूर्ति आवश्यक होगी—

   4.1 इस नियम के तहत कोई भी व्यक्ति, साझेदारी/कम्पनी/सीमित दायित्व साझेदारी/प्रमोटर आवेदन कर सकता है.

   4.2 आवेदक को न्यूनतम 25 एकड़ वैध भूमि की व्यवस्था करनी होगी.

   4.3 आवेदक की वित्तीय स्थिति ऐसी हो कि वह निर्धारित अवधि में औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना करने में सक्षम हो.

   4.4 आवेदक का आवेदन स्वीकृत होने पर ही अनुदान की पात्रता होगी.

5. **परिभाषाएं**—

   5.1 "भूमि" से तात्पर्य है, निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु आवेदक के पास न्यूनतम 25 एकड़ भूमि का वैध आधिपत्य हो.

   5.2 "अधोसंरचनात्मक लागत" से अभिप्रेत है व इसमें सम्मिलित है डेव्हलपर के आधिपत्य में न्यूनतम 25 एकड़ भूमि पर भूमि विकास, निजी औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क हेतु पहुंच मार्ग, निजी औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क के भीतर की आंतरिक सड़कें, ड्रेनेज निर्माण, निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क के भीतर/बाहर विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति एवं प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना पर किया गया व्यय.

   **टीप :—** अधोसंरचना लागत में भूमि की लागत को (अधोसंरचना अनुदान प्रयोजन हेतु) सम्मिलित नहीं किया जावेगा.

   5.3 "भूमि विकास" के अन्तर्गत सम्मिलित हैं निजी औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क हेतु भूमि का समतलीकरण, गहरीकरण, बाउंड्रीवाल/वायर फेसिंग व इस मद में कुल अधोसंरचना लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत अथवा रुपये 1.50 करोड़, जो भी कम हो, मान्य किया जायेगा.

5.4 "पहुंच मार्ग" से अभिप्रेत है ऐसी सड़क जो निजी औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क के निकटवर्ती मार्ग से निजी औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क तक पहुंचने हेतु शासन के संबंधित विभागों/स्थानीय निकायों से अनुमति प्राप्त कर बनायी गयी हो बशर्ते कि शासन के किसी विभाग/उपक्रम/एजेंसी का कोई पहुंच मार्ग औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क तक न हो. इस मद में अधिकतम लागत रुपये 1.00 करोड़ ही मान्य होगी.

5.5 "विद्युत आपूर्ति" से अभिप्रेत है निजी औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को विद्युत आपूर्ति व्यवस्था हेतु डेव्हलपर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण/पारेषण कंपनी को भूगतान की गई राशि तथा निजी औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क का आंतरिक विद्युतीकरण व बाह्य विद्युतीकरण, स्ट्रीट लाईट व्यवस्था एवं विद्युत उपकेंद्र/डी.जी. सेट पर किया गया व्यय.

**टीप :—**

(1) इस मद में भुगतान की गई राशि में सिक्यूरिटी डिपाजिट पुराने देयकों की रशि सम्मिलित नहीं की जावेगी.

(2) यदि केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना औद्योगिक पार्क/औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को विद्युत आपूर्ति हेतु की जाती है तो उस पर किए गए निवेश को "विद्युत" के तहत मान्य नहीं किया जावेगा.

5.6 "जल आपूर्ति" से अभिप्रेत है निजी औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क में स्थापित उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क के बाहर/भीतर के स्रोतों से जल आपूर्ति हेतु किया गया निवेश, जिसमें ओवर हेड टैंक, पंप हाउस, पाईप लाईन एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी सम्मिलित है, (सिक्यूरिटी डिपाजिट व संबंधित विभागों के पुराने देयकों की राशि को छोड़कर) यदि शासन के प्रशासकीय विभागों से अनुमति प्राप्त कर जल आपूर्ति हेतु व्यवस्था की गयी हो.

5.7 "आंतरिक सड़कें" से आशय है निजी औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क के भीतर निर्मित सड़कें.

5.8 "प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना" से आशय है डेव्हलपर द्वारा निजी औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु विकसित की गई प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना व इसमें सम्मिलित हैं, प्रशासकीय भवन, बैंक/एटीएम/पोस्ट ऑफिस, पुलिस थाना/पुलिस चौकी, फायर ब्रिगेड, केंटीन, कान्फ्रेन्स हाल, ट्रेनिंग सेन्टर, श्रमिक कल्याण/विश्राम केन्द्र, क्लीनिक, पूजा घर/मंदिर एवं कॉमन फेसलीटी सेंटर जैसे टेस्टिंग एवं डिजाइन सेंटर, इफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट, रॉ-मटेरियल डिपो, कोल्ड स्टोरेज, प्रोडक्ट डिस्प्ले सेंटर, सूचना केन्द्र, वेब्रिज पार्किंग एरिया, वृक्षारोपण, पर्यावरण के संरक्षण हेतु किये गये उपाय, सामूहिक गोदाम एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं.

**टीप :—** प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना मद में कुल अधोसंरचना लागत का 20 प्रतिशत से अधिक व्यय मान्य नहीं किया जावेगा.

6. **प्रक्रिया—**

6.1 इस अधिसूचना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क की स्थापना करने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग के समक्ष दो प्रतियों में (उपाबंध-1 अनुसार) प्रस्तुत करना होगा. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित अभिलेखों की प्रतियां भी यथास्थिति यदि लागू हो संलग्न करनी होगी—

1- आवेदक की वैयक्तिक जानकारी
2- आवेदक के विभिन्न औद्योगिक इकाईयों, व्यवसाय व सेवा से संबंधित जानकारी
3- विगत तीन वर्षों की बेलेन्स शीट
4- भूमि के स्वामित्व/आधिपत्य एवं नक्शा/भूमि की स्थिति
5- प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र/पार्क का संभावित ले-आउट प्लान/मानचित्र
6- प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की विस्तृत परियोजना
7- परियोजना के स्रोतों से संबंधित जानकारी (बैंकों से ऋण/वित्तीय संस्थाओं से ऋण/स्वयं के स्रोत/अंशपूजी इत्यादि)
8- विगत 3 वर्षों में आयकर, उत्पाद शुल्क व वेटकर के भुगतान की जानकारी.

6.2 आवेदन पत्र का परीक्षण उद्योग आयुक्त/संचालक की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा. जिसका प्रारूप निम्नानुसार होगा :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग | — | अध्यक्ष |
| 2. | संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि | — | सदस्य |
| 3. | सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अधिकृत प्रतिनिधि | — | सदस्य |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | संचालक, नगर एवं ग्रामीण निवेश विभाग अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि | — | सदस्य |
| 5. | स्थानीय निकायों के कार्यालय प्रमुख यथा नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत. | — | सदस्य |
| 6. | प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि. | — | सदस्य |
| 7. | प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि. | — | सदस्य |
| 8. | मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि | — | सदस्य |
| 9. | अपर संचालक/संयुक्त संचालक, उद्योग संचालनालय | — | सदस्य सचिव |

समिति का कोरम 4 का होगा, जिस पर क्रमांक 4 पर अंकित अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी.

समिति प्रस्तावित निजी औद्योगिक पार्क/क्षेत्र के स्थल का भ्रमण कर सकेगी व आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों की सेवाएं भी ले सकेगी. आवेदक को अपनी योजना का प्रस्तुतीकरण भी समिति के समक्ष करना होगा.

समिति द्वारा यह परीक्षण किया जावेगा कि निजी औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु जो स्थल प्रस्तावित किया गया है, वह औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपयुक्त है अथवा नहीं.

6.3 उद्योग संचालनालय भी राज्य में किसी स्थान विशेष में निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु संबंधित स्थान विशेष में औद्योगिक प्रयोजन/औद्योगिक विकास की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए अभिरूचि प्रस्ताव समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर आमंत्रित कर सकेगा.

6.4 अभिरूचि प्रस्तावों में भी आवेदक को निर्धारित प्रारूप में वांछित अभिलेखों सहित जानकारी देनी होगी.

6.5 जिन आवेदकों को भारत सरकार द्वारा निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क स्थापना हेतु स्वीकृति दी जा चुकी है. ऐसे आवेदकों को भी इस अधिसूचना के अंतर्गत राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी.

6.6 इस अधिसूचना के अंतर्गत जिन आवेदकों द्वारा आवेदन सीधे प्रेषित किया है एवं अभिरूचि प्रस्तावों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण भी उपरोक्तानुसार समिति द्वारा किया जावेगा एवं सफल आवेदकों का चयन किया जावेगा/सूचीबद्ध किया जावेगा व आवेदन प्राप्ति की अभिस्वीकृति उपाबंध-2 अनुसार जारी की जावेगी.

6.7 संचालक उद्योग द्वारा निजी औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु स्थल उपयुक्त पाये जाने पर प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जावेगा व शासन द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना हेतु प्रशासकीय अनुमोदन दिया जावेगा. प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु स्वीकृति आदेश उपाबंध-4 अनुसार जारी किया जावेगा.

प्रकरण निरस्त होने पर निरस्तीकरण की सूचना उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग द्वारा परीक्षणोपरांत दे दी जावेगी.

6.8 स्वीकृति आदेश में निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु समस्त शर्तें/डेव्हलपर के अधिकार व दायित्वों एवं पार्क की स्थापना की अवधि व अन्य शर्तों का उल्लेख होगा व इसके अतिरिक्त डेव्हलपर एवं राज्य शासन के मध्य औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु एक अनुबंध का निष्पादन भी होगा. अनुबंध में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना की शर्तें डेव्हलपर के अधिकार कर्तव्य एवं दायित्व औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की मूलभूत आवश्यकताएं औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना की अवधि एवं राज्य शासन के अधिकारों का उल्लेख होगा. राज्य शासन की ओर से यह अनुबंध उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग द्वारा किया जावेगा. अनुबंध का पंजीयन भी किया जावेगा एवं पंजीयन का व्यय डेव्हलपर द्वारा किया जावेगा.

7. **निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना की शर्तें :—**

7.1 भूमि का प्रयोजन औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना औद्योगिक प्रयोजन हेतु करवाना.

7.2 भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से आवश्यक होने पर पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त करना.

7.3 नगर एवं ग्रामीण निवेश विभाग से औद्योगिक क्षेत्र/पार्क का अभिन्यास अनुमोदन करवाना.

7.4 छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल एवं वायु पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण अधिनियमों के अधीन औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु सम्मति प्राप्त करना/संचालन सहमति प्राप्त करना.

7.5 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत शासन, राज्य शासन के छत्तीसगढ़ पर्यावरण एवं संरक्षण मंडल, नगर एवं ग्रामीण निवेश विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के संबंध में लगायी गई शर्तों का पालन करना होगा.

7.6 शासन द्वारा जारी स्वीकृति आदेश में निर्धारित उद्योगों को भूमि आवंटन करना.

7.7 25 एकड़ की भूमि के रकबे पर न्यूनतम 10 सूक्ष्म/लघु/मध्यम उद्योगों की स्थापना करना.

7.8 स्वीकृति आदेशानुसार औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना स्वीकृति आदेश जारी होने के 30 माह के भीतर करना होगा.

7.9 डेव्हलपर द्वारा राज्य शासन के संबंधित विभागों के नियमों का पालन किया जावेगा.

8. **निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की मूलभूत आवश्यकताएं—** डेव्हलपर को प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र/पार्क में निम्नांकित अधोसरंचना विकसित करना होगी :—

8.1 न्यूनतम 7 मीटर चौड़ी रोड (औद्योगिक क्षेत्र के पहुंच मार्ग हेतु)
8.2 उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप विद्युत आपूर्ति व्यवस्था
8.3 उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप जल आपूर्ति व्यवस्था
8.4 ड्रेनेज व्यवस्था व स्ट्रीट लाईट व्यवस्था
8.5 औद्योगिक क्षेत्र में आंतरिक सड़कों का निर्माण
8.6 औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु आवश्यकतानुसार प्रशासकीय व अन्य
8.7 बुनियादी अधोसंरचना.

9. **निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क के डेव्हलपर के अधिकार एवं दायित्व—**

9.1 इन नियमों के तहत औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना करवानी होगी, जिसकी संख्या भूमि के कुल रकबे के आधार पर निर्धारित होगी. 25 एकड़ भूमि का रकबा होने पर न्यूनतम 10 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों की स्थापना आवश्यक होगी. भूमि के रकबे में वृद्धि होने पर समानुपात में उद्योगों की संख्या में भी वृद्धि होगी.

9.2 भूमि का आवंटन फ्री होल्ड/लीज होल्ड पर किया जा सकेगा, भूमि लीज की अवधि न्यूनतम 11 वर्ष की होगी. डेव्हलपर भूमि की प्रब्याजी दरों के निर्धारण, लीज रेन्ट, संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट शुल्क व अन्य शुल्कों के निर्धारण के लिए स्वतंत्र होगा.

9.3 डेव्हलपर को औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना से संबंधित स्वीकृति आदेश व इस संबंध में निष्पादित अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करना होगा.

9.4 डेव्हलपर द्वारा औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क में किसी ऐसे उद्योग को भूमि आवंटित नहीं की जावेगी जिसे भारत सरकार अथवा राज्य शासन अथवा इनकी एजेंसियों द्वारा नि:षिद्ध घोषित किया गया है.

9.5 औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क में जिन औद्योगिक इकाईयों/व्यवसाय व सेवा उपक्रमों को भूमि आवंटित की जावेगी उनके पक्ष में निष्पादित किये जाने वाले विक्रय/लीज अभिलेखों में राज्य शासन के संबंधित विभागों की शर्तों के परिपालन की स्वीकृति का उल्लेख होगा.

9.6 डेव्हलपर औद्योगिक क्षेत्र/पार्क के सुव्यवस्थित संचालन हेतु औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाईयों के संगठन को अथवा अन्य किसी तृतीय पक्ष को दे सकेंगे.

9.7 डेव्हलपर को भी राज्य शासन की औद्योगिक नीति के अनुरूप पार्क की स्थापना व संचालन हेतु राज्य के मूल निवासियों को अकुशल श्रेणी में 90 प्रतिशत, कुशल श्रेणी में 50 प्रतिशत एवं प्रबंधकीय/प्रशासकीय श्रेणी में 33 प्रतिशत न्यूनतम रोजगार प्रदान करना होगा.

9.8 डेव्हलपर को औद्योगिक क्षेत्र/पार्क के निर्माण की अवधि में छमाही आधार पर उद्योग आयुक्त/संचालक को निर्माण की प्रगति से अवगत कराना होगा व औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना के पश्चात् 5 वर्षों की अवधि तक औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना से संबंधित स्थिति विवरण भी प्रस्तुत करना होगा.

9.9 डेव्हलपर को निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क में भू-शेड आवंटन/भू-शेड हस्तांतरण/भू-शेड निरस्तीकरण हेतु राज्य शासन के किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी.

9.10 औद्योगिक क्षेत्र/पार्क में स्थापित उद्योगों को स्वामित्व परिवर्तन की सूचना उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग को देनी होगी.

9.11 औद्योगिक क्षेत्र/पार्क में स्थापित उद्योगों की भूमि शेड/उद्योग के विक्रय हेतु डेव्हलपर से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी. डेव्हलपर को केवल हस्तांतरण शुल्क ही देय होगी. यह हस्तांतरण शुल्क सीएसआईडीसी/उद्योग विभाग द्वारा लिये जाने वाले हस्तांतरण शुल्क से कम नहीं होगा.

9.12 डेव्हलपर अधोसंरचना लागत में निहित मदों का विक्रय निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क प्रारंभ होने के 10 वर्षों की अवधि तक नहीं कर सकेगा तथा इस अवधि के पश्चात् उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग की पूर्वानुमति आवश्यक होगी.

9.13 निजी औद्योगिक क्षेत्र का संधारण डेव्हलपर को या तो स्वयं अथवा किसी अन्य तृतीय पक्ष के माध्यम से अनिवार्यत: करना होगा.

10. **औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क की स्थापना की अवधि—** डेव्हलपर को औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु स्वीकृति आदेश जारी होने के दिनांक से निम्नांकित कार्यवाही पूर्ण करनी होगी :—

10.1 स्वीकृति आदेश जारी होने के तीन माह के भीतर भूमि की व्यवस्था.

10.2 स्वीकृति आदेश जारी होने के 30 माह के भीतर औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना.

10.3 उपरोक्त कंडिका 10.2 के अनुसार निर्धारित अवधि में औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना न होने पर संचालक/आयुक्त उद्योग गुण-दोष के आधार पर उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि में एक बार, अधिकतम 6 माह की वृद्धि कर सकेगा.

10.4 उपरोक्त कंडिका 10.3 के अनुसार बढ़ाई गई अवधि में औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना न होने पर वाणिज्य एवं उद्योग विभाग गुण-दोष के आधार पर उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि में एक बार, अधिकतम 6 माह की वृद्धि, कुल देय अनुदान राशि में से 20 प्रतिशत की कटौती के साथ कर सकेगा.

11. **औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता व प्रक्रिया—**

11.1 इस नियम के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा स्वीकृत निजी औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों की स्थापना होने पर (क्षेत्रफल न्यूनतम 25 एकड़) डेव्हलपर को अधोसंरचना अनुदान, अधोसंरचना लागत (भूमि को छोड़कर) का 30 प्रतिशत अधिकतम रुपये 500 लाख का अनुदान कंडिका 11.3.3 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार दिया जायेगा.

**टीप :—** (1) यदि डेव्हलपर को औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु भारत सरकार से स्वीकृत प्राप्त है एवं भारत सरकार से अनुदान की स्वीकृति यदि राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक है तो राज्य शासन अधोसरंचना अनुदान की पात्रता नहीं होगी किन्तु यदि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान की राशि राज्य शासन के अनुदान से कम है तो अंतर की राशि अधोसंरचना अनुदान राशि के रूप में दी जावेगी.

11.2 **निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क में स्थापित होने वाले उद्योगों को अनुदान/छूट—**

1. निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भू-आवंटन पर राज्य शासन द्वारा भू प्रब्याजि में कोई छूट/रियायत नहीं दी जावेगी.

2. उपरोक्त (1) में स्थापित होने वाले उद्योगों को उद्योग स्थापना पर औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन वे समस्त अनुदान, छूट व रियायतें (भू प्रब्याजि में छूट को छोड़कर) प्राप्त होगी जो तत्समय में प्रचलित औद्योगिक नीति, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, ऑटोमोटिव उद्योग नीति में प्रावधानित है (यथास्थिति जो लागू हो) संबंधित अधिसूचनाओं के अधीन प्राप्त होगी.

11.3 **अधोसंरचना अनुदान की प्रक्रिया :—**

1. औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना पर अधोसंरचना लागत पर 30 प्रतिशत अनुदान दिया जावेगा जो इन नियमों अंतर्गत अधिसूचित परिभाषाओं तथा सीमाओं के अधीन होगा.
   1. भूमि विकास
   2. पहुंच मार्ग
   3. विद्युत आपूर्ति
   4. जल आपूर्ति
   5. आंतरिक सड़कें
   6. प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना

2. अधोसंरचना अनुदान हेतु औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना का कार्य प्रारंभ होने के पश्चात् उपाबंध-5 में निर्धारित प्रारूप में आवेदन उद्योग संचालनालय में जमा करना होगा. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित अभिलेख संलग्न करने होंगे :—
   2.1 उपाबंध-7 अनुसार चार्टर्ड एकाउंटेड का निवेश प्रमाण पत्र.
   2.2 उपाबंध-8 अनुसार चार्टर्ड इंजीनियर का वेल्युवेशन प्रमाण पत्र.
   2.3 उपाबंध-9 अनुसार औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु किया गया व्यय एवं कुल अधोसंरचना लागत के पूर्णता प्रतिशत से संबंधित प्रमाण पत्र व सूची.

3. अधोसंरचना अनुदान की स्वीकृति व वितरण तीन किस्तों में किया जावेगा.
   (अ) प्रथम किस्त 40 प्रतिशत (कुल परियोजना का 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर एवं न्यूनतम 3 उद्योगों को भूमि आवंटन/विक्रय पर, कुल परियोजना का 40 प्रतिशत कार्य स्वीकृति आदेश के जारी होने के दिनांक से 21 माह के भीतर करना होगा)

   (ब) द्वितीय किस्त 30 प्रतिशत (कुल परियोजना का 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर एवं न्यूनतम 5 उद्योगों को भूमि आवंटन/विक्रय पर, कुल परियोजना का 70 प्रतिशत कार्य स्वीकृति आदेश के जारी होने के दिनांक से 25 माह के भीतर करना होगा.)

   (स) तृतीय किस्त 30 प्रतिशत (कुल परियोजना का 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर, कुल परियोजना का 100 प्रतिशत कार्य स्वीकृति आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 माह के भीतर करना होगा.)

   **टीप :—** निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण न होने पर अधोसंरचना लागत अनुदान की 10 प्रतिशत राशि रोक दी जावेगी व यह राशि तब मुक्त की जावेगी जब परियोजना का 100 प्रतिशत कार्य निर्धारित 30 माह की अवधि में पूर्ण हो जावे.

   परंतु, यदि कंडिका 10.3 एवं 10.4 के अनुसार बढ़ाई गई अवधि उक्त 30 माह के अतिरिक्त प्रदत्त मान्य की जावेगी.

4. स्व-वित्त पोषित परियोजनाओं में भी अनुदान की पात्रता होगी.

5. अधोसंरचना अनुदान का क्लेम प्रकरण उद्योग संचालनालय में प्राप्त होने पर इसका परीक्षण किया जावेगा व आवेदन पत्र का पंजीयन कर पंजीयन क्रमांक देते हुए अभिस्वीकृति उपाबंध-6 अनुसार की जावेगी.

6. औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु किये गये व्ययों के संबंध में उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग द्वारा स्टेटस रिपोर्ट/वेल्यूएशन रिपोर्ट विभाग के उपक्रम छ.ग. स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन/राज्य शासन के निर्माणी कार्यालयों से ली जावेगी.

7. स्टेटस रिपोर्ट/वेल्यूएशन रिपोर्ट के आधार पर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग द्वारा उपरोक्त क्र. (3) अनुसार स्वीकृति आदेश जारी किये जावेंगे.

8. उद्योग संचालनालय द्वारा अधोसंरचना अनुदान स्वीकृति के क्रम के आधार पर बजट में राशि की उपलब्धता होने पर वितरण किया जावेगा. बजट उपलब्धता के अभाव में अनुदान की राशि देने में विलंब होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा.

9. बजट आवंटन उपलब्ध होने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक को अनुदान की राशि सीधे डेव्हलपर के ऋण खाते में जमा करने हेतु आर.टी.जी.एस. (रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट) पद्धति अथवा तत्समय इकाई के खाते में सीधे अनुदान जमा करने की पद्धति अनुसार प्रेषित की जावेगी जिसे संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा तुरंत औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा करना होगा.

12. **अपील/वाद—**

12.1 उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से 45 दिवसों के भीतर अपील की जा सकेगी.

12.2 अपील-अपील शुल्क रुपये 5000/- का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी.

12.3 अनुसूचित जाति/जनजाति, नि:शक्त/नक्सलवाद से प्रभावित परिवार/व्यक्ति से संबंधित प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा.

13. **अधोसंरचना अनुदान की वसूली—**

13.1 डेव्हलपर के पक्ष में अनुदान की स्वीकृत राशि भुगतान हो जाने के पश्चात् यह पाया जाता है कि डेव्हलपर द्वारा कोई तथ्यों छुपाये गये हैं/तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान स्वीकृत हुआ है/अनुदान प्राप्त किया गया है.

13.2 डेव्हलपर द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात् यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 9.7 में उल्लेखित प्रतिशत (न्यूनतम सीमा) से कम हो जाता है.

13.3 निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना से संबंधित प्रगति/सुविधाओं को दर्शाने वाला स्थिति विवरण उद्योग संचालनालय को पार्क की स्थापना से 5 वर्ष की अवधि तक उपलब्ध न कराई जावे.

13.4 यदि डेव्हलपर को पात्रता से अधिक अनुदान की प्राप्ति हो गई हो.

13.5 यदि डेव्हलपर द्वारा औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना का कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात बीच अवधि में छोड़ दिया जाता है/नहीं किया जाता है.

13.6 औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना का कार्य बीच में छोड़ देने अथवा नहीं करने पर दी गई छूट [स्टाम्प शुल्क से छूट, पंजीयन शुल्क से छूट, भू निर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में छूट ] में समतुल्य राशि की वसूली की जावेगी.

13.7 उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 13.1 से 13.6 के अनुसार उद्योग आयुक्त/संचालक द्वारा सुनवाई पश्चात् स्वीकृति आदेश के निरस्तीकरण आदेश जारी किये जायेंगे/निरस्तीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी एवं दी गई छूट के समतुल्य राशि व अनुदान राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज के साथ वसूल की जावेगी.

13.8 वसूल की जाने वाली राशि भू-राजस्व के बकाया की वसूली के सदृश्य भी की जा सकेगी.

14. **स्वप्रेरणा से निर्णय—** औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना के संबंध में अथवा अधोसंरचना अनुदान के संबंध में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग किसी भी अभिलेख को बुला सकेगा तथा ऐसे नियमानुसार आदेश पारित कर सकेगा परंतु अनुदान को निरस्त करने या उसमें कमी करने के पूर्व, प्रभावित पक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जावेगा. राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा जो प्रभावित पक्षकारों के लिए बंधनकारी होगा.

15. इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा.

16. नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में भी राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा.

17. **योजना का क्रियान्वयन, मूल्यांकन—**

17.1 निजी क्षेत्र में स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों/पार्को की स्थापना से संबंधित कठिनाईयां एवं समस्याओं का निराकरण राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के संचालक मंडल में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में की जावेगी.

17.2 निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्रों की समीक्षा/मानीटरिंग वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा की जावेगी व उद्योग हित में नियमों में परिवर्तन/संशोधन किया जा सकेगा.

17.3 योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**व्ही. के. छबलानी,** विशेष सचिव.

---

"उपाबंध —1"

**निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु आवेदन**

1. आवेदक का नाम व पता—

2. आवेदक का संगठन—

3. **प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र/पार्क स्थल—**
   1 स्थान
   2 विकासखण्ड
   3 जिला

4. **पंजीयन—**
   1- वेट कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन

   2- भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956/साझेदारी अधिनियम 1932/सहकारी समिति के अन्तर्गत पंजीयन

   3- स्थानीय निकायों का औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र/प्रस्ताव

5. आवेदक का पेनकार्ड क्रमांक —

6. आवेदक के बैंक खाते —

7. औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु प्रस्तावित दिनांक—

**6— योजना/सकल पूंजीगत लागत ( राशि लाखों में )—**

| क्र. | | राशि |
|---|---|---|
| (1) | **भूमि** — (भूमि का रकबा ................................) | |
| (2) | **भूमि विकास**<br>भूमि का समतलीकरण<br>भूमि का गहरीकरण<br>बाउंड्रीवाल/वायर फेसिंग | |
| (3) | **औद्योगिक क्षेत्र/पार्क हेतु पहुंच मार्ग** | |
| (4) | **विद्युत आपूर्ति निवेश** — (सेक्यूरीटी डिपोजिट व पुराने देय राशि को छोड़कर)<br>आंतरिक विद्युतीकरण,<br>बाह्य विद्युतीकरण<br>स्ट्रीट लाईट व्यवस्था,<br>विद्युत उपकेंद्र<br>केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना पर किया गया निवेश<br>अन्य | |
| (5) | **जल आपूर्ति निवेश** —(सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर)<br>ओवर हेड टैंक,<br>पंप हाउस,<br>पाईप लाईन,<br>रेन वाटर हार्वेस्टिंग<br>अन्य | |
| (6) | **प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना**<br>प्रशासकीय भवन,<br>बैंक/एटीएम<br>पोस्ट ऑफिस,<br>पुलिस थाना/पुलिस चौकी,<br>फायर ब्रिगेड,<br>केंटीन,<br>कान्फ्रेन्स हाल,<br>ट्रेनिंग सेन्टर,<br>श्रमिक कल्याण/विश्राम केन्द्र,<br>क्लीनिक,<br>पूजा घर/मंदिर<br>कॉमन फेसलीटी सेंटर जैसे टेस्टिंग एवं डिजाइन सेंटर, इन्फ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट, रॉ—मटेरियल डिपो, प्रोडक्ट डिस्प्ले सेंटर, सूचना केंद्र<br>अन्य<br>**योग** — | |
| | **महायोग—** | |

**7— योजना/सकल पूंजीगत लागत के स्त्रोत—**

1— स्वंय के स्त्रोत

2— अंश पूंजी

3— ऋण

अ— वित्तीय संस्थाओं से ऋण

ब— बैंकों से ऋण

4— योग

8— औद्योगिक क्षेत्र/पार्क में स्थापित किये जाने वाले संबंधित उद्योगों, व्यवसायों/सेवा उपक्रमों की संख्या व संभावित रोजगार (प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जावे)—

9— संभावित विद्युत भार—

10— आवेदक के अन्य उद्योग, व्यवसाय व उपक्रमों की जानकारी —

11— भारत सरकार की किसी योजना के तहत् औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु प्राप्त स्वीकृति/आवेदन, यदि हो तो —

**स्थान—**
**दिनांक —**

**अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर**
**नाम**
**पद**
**आवेदक/कंपनी का नाम व पता**

## शपथ पत्र

मैं ...................................................................................... (शपथकर्ता का नाम एवं पदनाम), डेव्हलपर का नाम ............................................ शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूं व यह शपथ पत्र देने के लिए ......... .......................................... की ओर से अधिकृत हॅं कि —

1— आवेदन पत्र में दी गई जानकारी पूर्ण रूप से सही है व किसी तथ्यों को नहीं छुपाया गया है।

2— छत्तीसगढ़ निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना के नियमों का अध्ययन कर लिया है इस बाबत स्वीकृति आदेश व निष्पादित अनुबंध की कंडिकाओं का पूर्ण पालन किया जावेगा।

3— डेव्हलपर द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी विभाग/वित्तीय संस्थाओं/मंडल/बोर्ड/निगम में अधोसंरचना लागत अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है एवं न ही अनुदान स्वीकृत/वितरित हुआ है ।

**या**

डेव्हलपर द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी विभाग/वित्तीय संस्थाओं/मंडल/बोर्ड/निगम में अधोसंरचना लागत अनुदान हेतु आवेदन किया है/अनुदान स्वीकृत/वितरित हुआ है ।

5— उपरोक्त जानकारी गलत/त्रुटिपूर्ण/मिथ्या पाये जाने पर अन्यथा किसी भी बिंदु का उल्लंघन पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान राशि की वसूली के मांग पत्र पर प्राप्त अनुदान की राशि मय 12 प्रतिशत ब्याज के साथ 15 दिवसों की अवधि में वापस की जावेगी।

स्थान —
दिनांक —

**अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर**
**नाम**
**पद**
**आवेदक/कंपनी का नाम व पता**

"उपाबंध–02"

( अभिस्वीकृति )
उद्योग संचालनालय
छत्तीसगढ़

मेसर्स ................................................................ पता.......................................................................... द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना ................................................................ में करने हेतु पूर्ण आवेदन दिनांक.................... (अक्षरी).................................................. को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन क्रमांक ................................. है ।
(भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन कमांक का उल्लेख करें)

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी / कार्यालय की
सील

प्रति,

मेसर्स.................................................................
.................................................................
.................................................................

"उपाबंध–03"

( अभिस्वीकृति )
उद्योग संचालनालय
छत्तीसगढ़

मेसर्स ................................................................ पता.......................................................................... द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना..............................................में करने के संबंध में अधोसंरचना अनुदान क्लेम................................................................ में करने हेतु पूर्ण आवेदन दिनांक............ .......... (अक्षरी).................................................. को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन क्रमांक ........................ ......... है ।
(भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन कमांक का उल्लेख करें)

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी / कार्यालय की
सील

प्रति,

मेसर्स.................................................................
.................................................................
.................................................................

"उपाबंध–4"

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

**(छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. .......................... के अन्तर्गत)**

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक .............................. दिनांक ................................ द्वारा अधिसूचित **छत्तीसगढ़ निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना योजना नियम 2014** के तहत् प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन ........................ .................... स्थान पर (नक्शा संलग्न) औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों पर दी जाती है:–

1 न्यूनतम 25 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना करनी होगी।

2 भूमि का प्रयोजन औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना औद्योगिक प्रयोजन हेतु करवाना ।

3 भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से आवश्यक होने पर पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त करना ।

4 नगर एवं ग्रामीण निवेश विभाग से औद्योगिक क्षेत्र/पार्क का अभिन्यास अनुमोदन करवाना।

5 छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल एवं वायु पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण अधिनियमों के अधीन औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु सम्मति प्राप्त करना/संचालन सहमति प्राप्त करना।

6 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत शासन, राज्य शासन के छत्तीसगढ़ पर्यावरण एवं संरक्षण मंडल, नगर एवं ग्रामीण निवेश विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के संबंध में लगायी गई शर्तों का पालन करना होगा।

7 शासन द्वारा जारी स्वीकृति आदेश में निर्धारित उद्योगों को भूमि आबंटन करना।

8 25 एकड़ की भूमि के रकबे पर न्यूनतम 10 लघु/मध्यम/वृहद उद्योगों की स्थापना करना भूमि के रकबे में वृद्धि होने पर समानुपात में उद्योगों की स्थापना संख्या में भी वृद्धि होगी।

9 स्वीकृति आदेशानुसार औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना स्वीकृति आदेश जारी होने के 30 माह के भीतर करना होगा।

10 डेव्हलपर को राज्य शासन के संबंधित विभागों के नियमों का पालन किया जावेगा।

11 औद्योगिक क्षेत्र हेतु निर्धारित मापदंडों का पालन करना होगा।

12 पार्क की स्थापना के संबंध में स्वयं के व्यय पर अनुबंध का निष्पादन कराना होगा।

13 अधिसूचना व अनुबंध में निहित डेव्हलपर के दायित्वों का पालन करना आवश्यक होगा।

**सचिव/उप सचिव**
**छत्तीसगढ़ शासन**
**वाणिज्य एवं उद्योग विभाग**
**मंत्रालय, नया रायपुर**

"उपाबंध–5"

**निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु अधोसंरचना अनुदान का क्लेम आवेदन**

1— **आवेदक का नाम व पता —**
2— **आवेदक का संगठन —**
3— **प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र/पार्क स्थल —**
   1 स्थान
   2 विकास खण्ड
   3 जिला
4— **पंजीयन**
   1— वेट कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन
   2— भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956/साझेदारी अधिनियम 1932/सहकारी समिति के अन्तर्गत पंजीयन
   3— स्थानीय निकायों का औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र/

5— आवेदक का पेनकार्ड क्रमांक —
6— आवेदक के बैंक खाते —
7— औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना दिनांक —
8— **योजना/सकल पूंजीगत लागत ( राशि लाखों में )**

| क्र0 | | राशि |
|---|---|---|
| (1) | **भूमि** — (भूमि का रकबा ..............................) | |
| (2) | **भूमि विकास**<br>भूमि का समतलीकरण<br>भूमि का गहरीकरण<br>बाउंड्रीवाल/वायर फेसिंग | |
| (3) | **औद्योगिक क्षेत्र/पार्क हेतु पहुंच मार्ग** | |
| (4) | **विद्युत आपूर्ति निवेश** — (सेक्यूरीटी डिपोजिट व पुराने देय राशि को छोड़कर)<br>आंतरिक विद्युतीकरण,<br>बाह्य विद्युतीकरण<br>स्ट्रीट लाईट व्यवस्था,<br>विद्युत उपकेंद्र<br>केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना पर किया गया निवेश<br>अन्य | |
| (5) | **जल आपूर्ति निवेश** —(सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर)<br>ओवर हेड टैंक,<br>पंप हाउस,<br>पाईप लाईन,<br>रेन वाटर हार्वेस्टिंग<br>अन्य | |
| (6) | **प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना**<br>प्रशासकीय भवन,<br>बैंक/एटीएम<br>पोस्ट ऑफिस,<br>पुलिस थाना/पुलिस चौकी,<br>फायर ब्रिगेड, | |

| | | |
|---|---|---|
| | केंटीन,<br>कान्फ्रेन्स हाल,<br>ट्रेनिंग सेन्टर,<br>श्रमिक कल्याण/विश्राम केन्द्र,<br>क्लीनिक,<br>पूजा घर/मंदिर<br>कॉमन फेसलीटी सेंटर जैसे टेस्टिंग एवं डिजाइन सेंटर, इन्फ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट, रॉ–मटेरियल डिपो, प्रोडक्ट डिस्प्ले सेंटर, सूचना केंद्र<br>अन्य<br>**योग –** | |
| | **महायोग–** | |

**9– योजना/सकल पूंजीगत लागत के स्त्रोत–**

1– स्वंय के स्त्रोत

2– अंश पूंजी

3– ऋण

अ– वित्तीय संस्थाओं से ऋण

ब– बैंकों से ऋण

4– योग

10– औद्योगिक क्षेत्र/पार्क में स्थापित किये जाने वाले संबंधित उद्योगों, व्यवसायों/सेवा उपक्रमों की संख्या व संभावित रोजगार (प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जावे)–

11– संभावित विद्युत भार–

12– आवेदक के अन्य उद्योग, व्यवसाय व उपक्रमों की जानकारी –

13– भारत सरकार की किसी योजना के तहत् औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु प्राप्त स्वीकृति/आवेदन, यदि हो तो –

**14–** रोजगार (नवीन उद्योगों के प्रकरणों में)–

| श्रम वर्ग | रोजगार क्षमता | प्रदत्त रोजगार | राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार | प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| अकुशल वर्ग | | | | |
| कुशल वर्ग | | | | |
| प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग | | | | |
| योग | | | | |

**स्थान–**
**दिनांक –**

**अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर**
**नाम**
**पद**
**आवेदक/कंपनी का नाम व पता**

"उपाबंध–6"

**औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु अधोसरंचना अनुदान योजना के अंतर्गत स्वीकृति आदेश उद्योग संचालनालय**

**(छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. ......................... के अन्तर्गत)**

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक ............................. दिनांक ............................. द्वारा अधिसूचित **छत्तीसगढ़ राज्य निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना के अनुदान नियम 2014** के नियम क्रमांक "..........." के तहत् प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार **निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु अधोसंरचना अनुदान** के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है ।

1– डेव्हलपर का नाम व पता

2– औद्योगिक क्षेत्र/पार्क का कार्यस्थल–
(स्थान, विकास खंड व जिला )

3– पंजीयन क्रमांक

4– 1. अनुमोदित परियोजना लागत –

2. वास्तवित परियोजना लागत–

2.1 वास्तवित परियोजना लागत का 40 प्रतिशत कार्यपूर्ण –

2.2 वास्तवित परियोजना लागत का 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण –

2.3 वास्तवित परियोजना लागत का 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण –

5– स्वीकृत अधोसंरचना अनुदान राशि :–

3.1 प्रथम किस्त– 40 प्रतिशत
3.2 द्वितीय किस्त– 30 प्रतिशत
3.3 तृतीय किस्त– 30 प्रतिशत

6– यह राशि वित्तीय वर्ष– .............. के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी –
.........................................................
.........................................................

7– यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त कंडिकाओं का पालन करना होगा एवं कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्तीकरण योग्य होगा ।

**उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग**
**उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़**

"उपाबंध–7"

**(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण–पत्र)**
**( लेटर हैड पर मूल प्रति में)**

नाम ............................................................................................................ जिसका पंजीकृत पता ...................................................... **है व औद्योगिक** क्षेत्र/पार्क...................... **में स्थित है, व पार्क प्रारंभ** करने का दिनांक...................(40 प्रतिशत कार्यपूर्ण/70 प्रतिशत कार्य पूर्ण/100 प्रतिशत कार्य पूर्ण, दिनांक................................है। स्वीकृत आदेश क. ...................दिनांक.................................से ..................अवधि तक कुल परियोजना लागत रू. ................................के विरूद्ध .................................. किया गया अधोसंरचना लागत निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है, यह प्रमाणन ........................... के लेखा पुस्तको/बिल बाउचर/भुगतान से संबंधित अभिलेखों के मिलान व सत्यापन के पश्चात् किया गया है:–

| क0 | विवरण | औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना से संबंधित स्वीकृति आदेश.....................के जारी होने के दिनांक से दिनांक ................ तक की गई अधोसंरचना लागत रूपयों में | औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना से संबंधित स्वीकृति आदेश..................... के जारी होने के दिनांक से दिनांक ................ तक की गई अधोसंरचना लागत वास्तविक भुगतान राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 5. |
| (1) | **भूमि** – (भूमि का रकबा .......................)<br>**भूमि विकास**<br>भूमि का समतलीकरण<br>भूमि का गहरीकरण<br>बाउंड्रीवाल/वायर फेसिंग<br>औद्योगिक क्षेत्र/पार्क हेतु पहुंच मार्ग | | |
| (2) | **विद्युत आपूर्ति निवेश** – (सेक्यूरीटी डिपोजिट व पुराने देय राशि को छोड़कर)<br>आंतरिक विद्युतीकरण,<br>बाह्य विद्युतीकरण<br>स्ट्रीट लाईट व्यवस्था,<br>विद्युत उपकेंद्र<br>केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना पर किया गया निवेश<br>अन्य | | |
| (3) | **जल आपूर्ति निवेश** –(सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर)<br>ओवर हेड टैंक,<br>पंप हाउस,<br>पाईप लाईन,<br>रेन वाटर हार्वेस्टिंग<br>अन्य | | |
| (4) | **प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना**<br>प्रशासकीय भवन, | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (5) | बैंक/एटीएम<br>पोस्ट ऑफिस,<br>पुलिस थाना/पुलिस चौंकी,<br>फायर ब्रिगेड,<br>केंटीन,<br>कान्फ्रेन्स हाल,<br>ट्रेनिंग सेन्टर,<br>श्रमिक कल्याण/विश्राम केन्द्र,<br>क्लीनिक,<br>पूजा घर/मंदिर<br>कॉमन फेसलीटी सेंटर जैसे टेस्टिंग एवं डिजाइन सेंटर, इन्फ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट, रॉ–मटेरियल डिपो, प्रोडक्ट डिस्प्ले सेंटर, सूचना केंद्र<br>अन्य<br>**योग –** | | |
| | **महायोगः–** | | |

स्थान :
दिनांक

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता
सील
हस्ताक्षर
सदस्यता कमांक

"उपाबंध–8"

**( चार्टर्ड इंजीनियर / एप्रूव्ड वेल्यूवर का प्रमाण–पत्र)**
**( लेटर हैड पर )**

नाम ................................................................................................................ जिसका पंजीकृत पता .......... ............................................ है व औद्योगिक क्षेत्र/पार्क....................... में स्थित है, व पार्क प्रारंभ करने का दिनांक.....................(40 प्रतिशत कार्यपूर्ण/70 प्रतिशत कार्य पूर्ण/100 प्रतिशत कार्य पूर्ण, दिनांक............... ..................है। स्वीकृत आदेश क. ....................दिनांक................................से ....................अवधि तक कुल परियोजना लागत रू. ................................के विरूद्ध ................................ किया गया अधोसंरचना लागत निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है, यह प्रमाणन..................पर आधारित है। जिसका सत्यापन स्थल निरीक्षण उपरांत मेरे द्वारा किया गया है।

| क0 | विवरण | मात्रा | लागत |
|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 5. |
| (1) | **भूमि** – (भूमि का रकबा ......................... .......)<br>**भूमि विकास**<br>भूमि का समतलीकरण<br>भूमि का गहरीकरण<br>बाउंड्रीवाल/वायर फेसिंग<br>**औद्योगिक क्षेत्र/पार्क हेतु पहुंच मार्ग** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (2) | **विद्युत आपूर्ति निवेश** – (सेक्यूरीटी डिपोजिट व पुराने देय राशि को छोड़कर)<br>आंतरिक विद्युतीकरण,<br>बाह्य विद्युतीकरण<br>स्ट्रीट लाईट व्यवस्था,<br>विद्युत उपकेंद्र<br>केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना पर किया गया निवेश<br>अन्य | | |
| (3) | **जल आपूर्ति निवेश** –(सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर)<br>ओवर हेड टैंक,<br>पंप हाउस,<br>पाईप लाईन,<br>रेन वाटर हार्वेस्टिंग<br>अन्य | | |
| (4) | **प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना**<br>प्रशासकीय भवन,<br>बैंक/एटीएम<br>पोस्ट ऑफिस,<br>पुलिस थाना/पुलिस चौकी,<br>फायर ब्रिगेड,<br>केंटीन, | | |
| (5) | कान्फ्रेन्स हाल,<br>ट्रेनिंग सेन्टर,<br>श्रमिक कल्याण/विश्राम केन्द्र,<br>क्लीनिक,<br>पूजा घर/मंदिर<br>कॉमन फेसलीटी सेंटर जैसे टेस्टिंग एवं डिजाइन सेंटर, इन्फ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट, रॉ–मटेरियल डिपो, प्रोडक्ट डिस्प्ले सेंटर, सूचना केंद्र<br>अन्य<br>**योग** – | | |
| | **महायोगः–** | | |

स्थान :
दिनांक

चार्टर्ड इंजीनियर का नाम व पता
सील
हस्ताक्षर
सदस्यता कमांक

"उपाबंध 9"

**औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु अधोसरंचना अनुदान योजना के अन्तर्गत निवेश की सूची**
**(मूलप्रति)**

1. भूमि
2. भूमि विकास
3. औद्योगिक क्षेत्र/पार्क हेतु पहुंच मार्ग
4. विद्युत आपूर्ति निवेश
5. जल आपूर्ति निवेश
6. प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना

| क्र. | दिनांक | विक्रेता का नाम व पता | विवरण (जिस मद मे निवेश / व्यय किया गया है) | देयक क्रमांक/ चालान क्रमांक | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(1)

स्थान— हस्ताक्षर
दिनांक— आवेदक इकाई का नाम व पता

(2)

स्थान— हस्ताक्षर
दिनांक— नाम व पता
सील
पंजीयन कमांक व दिनांक

टीपः— 1— सूची तिथिवार व मदवार क्रम से होना चाहिये ।
2— सूची का प्रमाणन आवेदक इकाई व चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया जाये ।
3— निवेश /व्यय शीर्ष हेतु पृथक—पृथक सूची प्रस्तुत की जावे—
4— सूची का प्रत्येक पृष्ठ प्रमाणित व आवेदक इकाई व चार्टर्ड एकाउण्टेट के हस्ताक्षर युक्त हो।

नया रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2016

क्रमांक एफ 20-77/2012/11/(6).—यत: इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-92/2006/11/(6) दिनांक 02 जनवरी 2007 के अनुसार उद्यमियों द्वारा स्वविवेकानुसार ई.एम. पार्ट-I तथा ई.एम. पार्ट-II दाखिल करने संबंधी व्यवस्था भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, की अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 2576(ई) दिनांक 18 सितम्बर, 2015 के द्वारा परिवर्तित की गई है,

ओर यत: इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-4/2016/11/(6) दिनांक 06 फरवरी, 2016 से उद्यमियों को स्वविवेकानुसार स्वप्रमाणन के आधार पर "उद्यम आकांक्षा" (Udyam Aakanksha) दाखिल करने की व्यवस्था लागू की गई है,

ओर यत: ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012, में वर्तमान में पात्रता के लिये ई.एम. पार्ट-I एवं ई.एम. पार्ट-II अनिवार्य अभिलेख है,

अतएव, राज्य शासन, ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012 के क्रियान्वयन हेतु ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012 में जहां-जहां भी ई-एम पार्ट-1 शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसे ई-एम पार्ट-1/उद्यम आकांक्षा (Udyam Aakanksha) से प्रतिस्थापित करता है.

यह अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर 2015 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**व्ही. के. छबलानी,** विशेष सचिव.

---

नया रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2016

क्रमांक एफ 20-86/2015/ग्यारह/(छै).—राज्य शासन, एतद्द्वारा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की राज्य में स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये "छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन" प्रारंभ करता है.

2. "छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन" द्वारा निम्नांकित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा :—

   i खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का तकनीकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण.
   ii उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी, दोनों क्षेत्रों में कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन एवं परिरक्षण अधोसंरचना का विकास.
   iii ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र/संग्रहण केन्द्र की स्थापना.
   iv रीफर वाहन योजना.

3. उपरोक्त सभी योजनाओं पर छत्तीसगढ़ कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 में निर्धारित शर्तें यथावत् मान्य होंगी तथा योजनाओं में दी जाने वाली अनुदान की मात्रा पूर्व में भारत सरकार से संचालित राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के समानुरूप होंगी.

4. "छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन" के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश इस अधिसूचना के साथ संलग्न कर जारी किये जा रहे हैं.

5. इस मिशन की उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा "राज्य स्तरीय सशक्त समिति" द्वारा तथा योजनांतर्गत प्राप्त प्रकरणों का अनुमोदन "क्रियान्वयन समिति" द्वारा किया जायेगा, जिनका उल्लेख इस मिशन के संबंध में जारी दिशा निर्देशों में किया गया है.

6. छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत उपरोक्त योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य बजट से तथा राज्य विपणन विकास निधि (मण्डी निधि) आदि स्रोतों से उपलब्ध राशि से किया जायेगा.

7. केन्द्र शासन प्रवर्तित योजना (जिसे 31-03-2015 उपरांत समाप्त किया गया है) के अंतर्गत इकाईयों को स्वीकृत राशि के विरुद्ध लंबित अनुदान राशि का भुगतान प्रस्तावित छ.ग. राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**शारदा वर्मा,** उप-सचिव.

# छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना

1. **उद्देश्य**

(i) फसलोत्तर प्रचालनों के लिए सुविधाओं को प्रोन्नत करना, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को स्थापित करना शामिल है।

(ii) राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश लाना।

(iii) पूंजी निवेश, प्रौद्योगिकी अंतरण, दक्षता उन्नयन और हेण्डहोल्डिंग सहायता के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं को अपने उत्पादों को उन्नत करने के लिए उनकी क्षमता में वृद्धि करना।

(iv) राज्य के कृषि उत्पादो (उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी) का संग्रहण तथा प्रसंस्करण से कृषकों को आर्थिक लाभ देना।

(v) एफएसएसएआई द्वारा स्थापित मानदण्डों को पूरा करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों में सुधार करना।

(vi) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को एचएसीसीपी और आईएसओ प्रमाणन मानदण्ड अपनाने में सुविधा एवं सहायता प्रदान करना।

(vii) फार्म गेट अवसंरचना, आपूर्ति श्रृंखला, भण्डारण और प्रसंस्करण क्षमता मे वृद्धि करना।

(viii) संगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए बेहतर सहायक प्रणाली की व्यवस्था करना।

2. छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन (खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के तकनीकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण, कोल्ड चैन, मूल्य संर्वधन एवं संरक्षण अधोसंरचना (उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी क्षेत्र में) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र/संग्रहण केन्द्र की स्थापना तथा रीफर वाहन योजना) के सुचारू क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार **"राज्य स्तरीय सशक्त समिति"** का गठन किया गया है :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, | – | अध्यक्ष |
| 2. | अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग | – | सदस्य |
| 3. | अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग | – | सदस्य |
| 4. | प्रमुख सचिव, वन विभाग, | – | सदस्य |
| 5. | प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, | – | सदस्य |
| 6. | सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग | – | सदस्य |
| 7. | प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी | – | सदस्य |
| 8. | उद्योग आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय | – | सदस्य सचिव |

समिति मिशन की समस्त योजनाओं के राज्य में क्रियान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करेगी तथा आवश्यकतानुसार निर्देश/मार्गदर्शन देगी।

3. **योजनाएं :-** छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित की जाने वाली प्रमुख योजनाएं निम्नानुसार है :-

I. खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का तकनीकी उन्नयन/नवीन स्थापना/आधुनिकीकरण।

II. उद्यनिकी एवं गैर उद्यनिकी दोनों क्षेत्रों में कोल्ड चैन, शीत श्रृखला, मूल्य संवर्धन एवं संरक्षण अधोसरंचना का विकास ।

III. ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र/संग्रहण केन्द्र की स्थापना।

IV. रीफर वाहन योजना।

4. **प्रकरणों की स्वीकृति की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी** :– पात्र औद्योगिक इकाईयों के द्वारा आवेदन पत्र सीएसआईडीसी मुख्यालय, तथा समस्त जिलो के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में प्रस्तुत किये जायेंगे।

प्राप्त आवेदन पत्र परीक्षण उपरांत आयुक्त/संचालक, उद्योग की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित क्रियान्वयन समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे:–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | आयुक्त/संचालक, उद्योग | – | अध्यक्ष |
| 2. | प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी | – | सदस्य |
| 3. | संचालक, कृषि/उद्यानिकी/पशुपालन/मछलीपालन | – | सदस्य |
| 4. | अपर संचालक/संयुक्त संचालक उद्योग संचालनालय | – | सदस्य |
| 5. | कार्यपालक संचालक, सीएसआईडीसी | – | सदस्य सचिव |
| 6. | अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार आमंत्रित अन्य (किसी विभाग के प्रतिनिधि अथवा विषय विशेषज्ञ) | – | विशेष आमंत्रित सदस्य अधिकतम –2 |

5. **क्रियान्वयन समिति** से अनुमोदित प्रकरणों में स्वीकृति आदेश एवं अनुदान वितरण की कार्यवाही सी. एस.आई.डी.सी. द्वारा की जावेगी।

## I- छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का तकनीकी उन्नयन/नवीन स्थापना/आधुनिकीकरण के क्रियान्वयन के लिए दिशा–निर्देश

### 1. उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसंस्करण के स्तर में वृद्धि करना, मूल्यसंवर्धन करना और किसानों की आय में वृद्धि करना, साथ ही निर्यात को बढ़ावा देना है जिससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र विकास हो सके। राज्य में नई खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना करने, और साथ ही विद्यमान इकाईयों के तकनीकी उन्नयन और विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

### 2. पात्र क्षेत्र

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के अन्तर्गत फल और सब्जियां, दूध, मांस, कुक्कुट, मत्स्य उत्पाद, अनाज/अन्य उपभोक्ता खाद्य उत्पाद, चावल/आटा, दाल, तेल मिलिंग और खाद्य रंग, मसाले, नारियल, मशरूम, कृषि–बागवानी क्षेत्र, योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति में अपात्र उद्योग तथा एयरेटेड पानी, पैकिटबंद पेय–जल और मृदु पेयों के कार्य के उद्योग वित्तीय सहायता की पात्रता श्रेणी में नही आवेंगें।

### 3. पात्र संगठन

सभी क्रियान्वयन एजेन्सियां/संगठन जैसे सरकार/पीएसयू/संयुक्त उद्यम/ सहकारिताएं/ एसएचजी/निजी क्षेत्र/खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण के कार्य में लगे व्यक्ति, संस्थाएं वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे।

### 4. सहायता की मात्रा

योजना के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को अनुदान–सहायता के रूप में वित्तीय सहायता निम्नानुसार दी जावेगी :–

- संयत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यो की लागत का 25 %, अधिकतम 50 लाख रूपए।

**5.1 पात्र एवं अपात्र घटक**

**5.1 सिविल कार्यो की अपात्र मदें–**

I. अहाते की दीवार
II. पहुंच मार्ग
III. प्रशासनिक कार्यालय भवन
IV. शौचालय
V. श्रमिक विश्रामकक्ष और कामगारों के लिए आवास
VI. साफ–सफाई व्यवस्था कमरा
VII. सुरक्षा/गार्ड कक्ष
VIII. परामर्श शुल्क
(सूची केवल उदाहरण स्वरूप है, पूर्ण नहीं)

संक्षेप में, सिविल कार्यो के लिए किया गया निवेश, जो उत्पादन अथवा प्रसंस्करण से संबंद्ध नहीं है, अनुदान के लिये अपात्र होगा।

**5.2 संयंत्र और मशीनरी की अपात्र मदें**

I. ईंधन, उपभोज्य वस्तुएं, अनावश्यक कल–पुर्जे और भंडार।
II. विद्युतीय फिक्शर्स, जो मशीन पर न लगे हों।
III. कम्प्यूटर और कार्यालय का सहबद्ध फर्नीचर।
IV. परिवहन वाहन ।
V. उत्थापन, संस्थापन और प्रचालन प्रभार।
VI. चली हुई/पुरानी मशीनें/पुनर्सज्जित मशीनरी।
VII. सभी प्रकार के सेवा प्रभार, ढुलाई और भाड़ा प्रभार।
VIII. मशीनरी की पेंटिंग पर खर्च।
IX. क्लोज्ड सर्किट टीवी कैमरा और सम्बद्ध उपकरण
X. परामर्श फीस।
XI. लेखन सामग्री मदें।
(सूची केवल उदाहरण स्वरूप है, पूर्ण नहीं)

संक्षेप में, मशीनरी एवं संयंत्र के लिए किया गया निवेश, जो उत्पादन अथवा प्रसंस्करण से संबंद्ध नहीं है, अनुदान के लिये अपात्र होगा।

**5.3 अन्य नीतियों का प्रभावः–**

I. कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012–19 के अंतर्गत जो औद्योगिक इकाईयों पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता का लाभ ले चुकी हैं, तो इस योजना के अंतर्गत पात्र नही होगी।
II. राज्य शासन की किसी औद्योगिक नीति के अंतर्गत स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्राप्त किया है, तो वे इस योजना के अंतर्गत पात्र नही होगी।
III. 1 नवंबर 2001 के पूर्व स्थापित कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो को इस योजना के अंतर्गत पात्रता नही होगी।
IV. औद्योगिक नीति 2014–19 एवं कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012–19 के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु संतृप्त/अपात्र उद्योग भी इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगें।

6. **वित्तीय सहायता के लिए आवेदन–पत्रों/परियोजना प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया :** वित्तीय सहायता के इच्छुक आवेदकों आवेदन–पत्र, निर्धारित प्रपत्र में (परिशिष्ट-1) में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से कम से कम 2 माह पहले संबंधित संलग्नकों/दस्तावेजों के साथ सीएसआईडीसी मुख्यालय, सीएसआईडीसी के शाखा कार्यालयों तथा समस्त जिलो के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में प्रस्तुत करने होंगे।

7. **अनुदान जारी करना** :– अनुदान वित्तीय सहायता के रूप में दो समान किस्तों में जारी किया जाएगा।

7.1 **प्रथम किस्त जारी करना–** पहली किस्त, आवेदक इकाई द्वारा सावधि ऋण का 50% और प्रमोटर के अंशदान का 50% उपयोग किए जाने के बाद और आवेदक इकाई द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर जारी की जाएगी :

I. विधिवत नोटरीकृत **जमानत बांड** : लाभार्थी द्वारा कम से कम 100/– रूपए मूल्य के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाएगा (परिशिष्ट–8)

II. विधिवत नोटरीकृत **शपथ पत्र** : लाभार्थी द्वारा कम से कम 100/– रूपए मूल्य के गैर–न्यायिक पेपर पर निष्पादित किया जाएगा (परिशिष्ट–9)

III. बैंक प्रमाणपत्र : यह प्रमाणित किया जाएगा कि उन्होनें 50% स्वीकृत सावधि ऋण का जारी कर दिया है और राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अनुदान की पहली किस्त जारी करने पर कोई आपत्ति नही है। (परिशिष्ट–2)

IV. सीए प्रमाणपत्र (परिशिष्ट –10)

7.2 **दूसरी किस्त जारी करना –** अनुदान की दूसरी किस्त वास्तविक सत्यापन एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की पुष्टि के बाद आवेदक इकाई द्वारा नीचे विनिर्दिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करने के आधार पर जारी की जाएगी जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि अनुदान की पहली किस्त का तथा साथ ही सावधि ऋण का 100% और प्रमोटर के अशंदान का 100% का भी उपयोग कर लिया गया है :–

I. उपयोगिता प्रमाणपत्र : जीएफआर 19 ए के अनुसार सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित और बैंक तथा लाभार्थी कंपनी के प्रमोटर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित। (परिशिष्ट '11')

II. चार्टर्ड लेखाकार प्रमाणपत्र : परियोजना पर किया गया वास्तविक खर्च जिसमें वित्तपोषण के साधनों और प्रमोटर के अंशदान का 100% , सावधि ऋण का 100%, और जारी अनुदान की पहली किस्त का उपयोग दर्शाया गया हो (परिशिष्ट '10')

III. बैंक प्रमाणपत्र : जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि उन्होंने 100% सावधि ऋण और स्वीकृत अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी है। उन्हे, स्वीकृत अनुदान की दूसरी किस्त जारी करने में कोई आपत्ति नही है। (परिशिष्ट 3)

IV. चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाणपत्र : तकनीकी सिविल कार्यो के मद–वार और लागत–वार ब्योरे का चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) और संयंत्र और मशीनरी के मद–वार और लागत–वार ब्योरे, चार्टर्ड इंजीनियर (यांत्रिकी) द्वारा प्रमाणित।

8. **अपेक्षित दस्तावेज**

I. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन–पत्र परिशिष्ट –1

II. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)।

III. बैंक/वित्तीय संस्थान की सावधि ऋण का मंजूरी पत्र, यदि कोई हो।

IV. बैंक/वित्तीय संस्थान का मूल्यांकन रिपोर्ट (Appraisal Report)।

V. संगठन का संस्थापना/पंजीकरण प्रमाणपत्र, संस्था का ज्ञापन और अनुच्छेद तथा सोसायटी के उपनियम (यदि लागू हो)/भागीदारी प्रलेख आदि।

VI. संगठन के पदाधिकारियों/प्रमोटरों का जीवन–वृत्त/पृष्ठभूमि।

VII. पिछले तीन वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित लेखा विवरण, विस्तार/उन्नयन प्रस्तावों/मामलों की स्थिति में।

VIII. बिल्डिंग प्लान का ब्लू प्रिंट।

IX. भूमि दस्तावेज की प्रति।

X. परिकल्पित तकनीकी सिविल निर्माण कार्यो का मद–वार और लागत–वार ब्यौरा, चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) द्वारा प्रमाणित।

XI. परिकल्पित संयंत्र और मशीनरी का मद–वार और लागत–वार ब्यौरा, चार्टर्ड इंजीनियर (मेकेनिकल) द्वारा प्रमाणित।

XII. परियोजना के लिए अपेक्षित संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरण आदि के आपूर्तिकर्ताओं के देयक।

XIII. विपणन कार्यनीति।

XIV. प्रक्रिया प्रवाह आलेख।

XV. उद्योग आधार/ई.एम. पार्ट–2/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र

XVI. क्रियान्वयन समय–तालिका, जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख किया गया होः (क) भूमि अधिग्रहण/आबंटन का दिनांक, (ख) निर्माण कार्य शुरू करने का दिनांक, (ग) निर्माण कार्य पूर्ण होने का दिनांक, (घ) संयंत्र और मशीनरी के लिए आर्डर देने का दिनांक, (ड.) संस्थापन/उत्थापन का दिनांक, (च) ट्रायल उत्पादन/प्रचालन का दिनांक, और (छ) वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन का दिनांक।

XVII. 100/– रूपए मूल्य के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत निष्पादित एक शपथ–पत्र जो पब्लिक नोटरी द्वारा निम्नलिखित की पुष्टि करते हुए विधिवत नोटरीकृत किया गया हो :–

**(क)** संगठन की सहयोगी–संस्था/सम्बद्ध कंपनी/समूह कंपनी और स्वयं आवेदक कंपनी ने विगत में खाद्य प्रसंस्करण परियोजना के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई)/राज्य शासन से किसी वित्तीय सहायता का लाभ उठाया है अथवा नहीं, यदि हां तो, उसका ब्यौरा।

**(ख)** कि संगठन ने इसी प्रयोजन/कार्यकलाप/ऐसे ही घटकों के लिए केन्द्रीय सरकार/भारत सरकार के संगठन/एन्जेसी और राज्य सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग से कोई अनुदान/सब्सिडी प्राप्त नहीं की है/आवेदन नहीं किया है अथवा प्राप्त नहीं करेगा, यदि हां तो उसका ब्यौरा।

परिशिष्ट–11

9. **स्वीकृत परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण**–संचालक उद्योग उद्योग संचालनालय स्वीकृत रियोजाओं के क्रियान्वयन में सरलता हेतु आवश्यकतानुसार प्रणाली विकसित कर प्रभावी पर्यवेक्षण करेंगे ताकि स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों/बाधाओं का निरीक्षण यथा समय हो सके।

**II- छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी क्षेत्रों में कोल्ड चेन, (शीत श्रृंखला) मूल्य संवर्धन एवं सरंक्षण अधोसंरचना का विकास योजना के क्रियान्वयन के लिये दिषा–निर्देष।**

1. **उद्देश्य**

योजना का उद्देश्य खेत से लेकर उपभोक्ता तक अथवा उत्पादन स्थल से बाजार तक, एकीकृत और पूर्ण शीत श्रृंखला व परीक्षण अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराना है। योजना के अन्तर्गत उत्पादन स्थलों पर पूर्वशीतलन सुविधाओं, रीफर वैनों (Reefer Vehicle) और चल प्रशीतन यूनिटों (Mobile Pre Cooling Van) के लिए सहायता प्रदान करना है। इस योजना से उत्पादकों के समूहों को सुसज्जित आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से प्रसंस्करणर्ताओं और बाजार को जोड़ने में भी सहायता प्राप्त।

2. **योजना के घटक**

2.1 कोल्ड चेन (शीत श्रृंखला), मूल्य संवर्धन एवं संरक्षण अद्योंसरचना का विकास में योजना का निम्नलिखित घटक होंगे :

क) खेत स्तर पर न्यूनतम प्रसंस्करण केन्द्र जिनमें तोलने, ग्रेडिंग, छँटाई, पैकिंग, प्री–कूलिंग, प्रशीतन, शीत भण्डारण और वैयत्तिक आईक्यूएफ की सुविधाएं होंगी।

ख) चल प्रशीतन ट्रकों और रीफर ट्रक, जो उद्यानिकी और गैर–उद्यानिकी उत्पाद के परिवहन के लिए उपयुक्त हों।

ग) बहु–उत्पाद शीत भण्डारण/परिवर्तनीय प्रशीतन/फ्रीजिंग चेम्बरों, पैकिंग सुविधा, आईक्यूएफ और ब्लास्ट प्लेट फ्रीजिंग आदि सहित वितरण हब।

घ) Irradiation सुविधा

2.2 Irradiation सुविधाओं के अन्तर्गत, वेयरहाउसिंग, शीत भण्डारण सुविधाओं आदि को भी सुविधा के सुचारू उपयोग के लिए कच्ची सामग्री और विनिर्मित उत्पादों के भण्डारण के लिए शामिल मान्य है।

2.3 प्रर्वतकों को वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के लिए उपरोक्त (क), (ख) अथवा (ग) में से किन्ही दो घटकों की स्थापना करनी होगी। अनुदान का लाभ उठाने के प्रयोजनार्थ Irradiation सुविधा स्टैण्ड–अलोन मानी जा सकती है।

3. **पात्र क्षेत्र–** योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है :

क) डेयरी – सभी दूध और दुग्ध उत्पाद आदि।

ख) मांस – सभी मांस और मांस उत्पाद आदि (गौमांस छोड़कर)

ग) मत्स्य और समुद्री उत्पाद जैसे कि प्रॉन, सी–फूड, मछली, और उनसे संबंधित उत्पाद आदि।

घ) कोई अन्य उद्यानिकी/गैर– उद्यानिकी खाद्य उत्पाद जिनके लिए एकीकृत शीत श्रृंखला की जरूरत हो।

4. **पात्र संगठन –** एकीकृत शीत श्रृंखला और संरक्षण अधोसंरचना की स्थापना आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन व्यवसाय में रूचि रखने वाले व्यक्तियों अथवा उद्यमियों के समूहों संगठनों द्वारा सरकारी/पीएसयू/संयुक्त उद्यम/सहकारिताएं/एसएचजी/निजी क्षेत्र कंपनियां और निगम आदि द्वारा की जा सकती है।

5. पात्रता शर्त

5.1 आवेदक की मजबूत वित्तीय पृष्ठभूमि होनी चाहिए। आवेदक का निवल मूल्य (Net Worth) आवेदन किए गए अनुदान का 1.5 गुणा से अधिक होना चाहिए।

5.2 परियोजना प्रस्तावों का बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा विधिवत मूल्यांकन (Appraisal) किया जाना चाहिए और सावधि ऋण का लाभ उठाया जाना चाहिए। सावधि ऋण परियोजना लागत के 25% से कम नहीं होगा।

5.3 बैंक/वित्तीय संस्थान की परियोजना मूल्यांकन रिपोर्ट में सभी परियोजना घटक शामिल किए जाने चाहिए जिनके लिए अनुदान माँगा गया।

5.4 वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से पहले की नहीं होनी चाहिए।

5.5 आवेदकों को ऊपर पैरा 2 में वर्णित (क), (ख) अथवा (ग) में से किन्ही दो परियोजना घटकों की स्थापना करनी होगी। अनुदान का लाभ उठाने के प्रयोजनार्थ प्रदीपन सुविधा को स्टेण्ड–अलोन सुविधा के रूप स्थापित किया जा सकता है।

6. अपात्र घटक :

6.1 सिविल कार्यो के निम्नलिखित मदों पर अनुदान–सहायता के विचार नहीं किया जाएगा।

I. अहाते की दीवार।
II. पहुँच मार्ग/आंतरिक सड़कें।
III. भूमि और उसके विकास की लागत।
IV. कोई रिहायशी इमारत या विश्राम कक्ष/अतिथि गृह।
V. कैंटीन।
VI. श्रमिक विश्राम कक्ष और कामगारों के लिए आवास।
VII. सुरक्षा/गार्ड कक्ष।
VIII. परामर्श फीस, कर आदि।
IX. गैर–तकनीकी सिविल निर्माण कार्य, जो शीत श्रृंखला अथवा भण्डारण अवसंचना से सीधे संबद्ध न हो।
(सूची केवल उदाहरण स्वरूप है, पूर्ण नहीं)

6.2 सिविल कार्यो की निम्नलिखित मदों पर अनुदान–सहायता के लिये विचार नहीं किया जाएगा।

I. मार्जिन राशि, कार्यशील और आकस्मिक व्यय।
II. ईधन, उपभोज्य वस्तुएँ।
III. कम्प्यूटर और संबद्ध कार्यालय फर्नीचर।
IV. रीफर ट्रकों/वैनों/प्रशीतन वाहन/इंसुलेटिड दुग्ध टैंकरों के अलावा अन्य परिवहन यान।
V. इस्तेमाल की हुई/पुरानी मशीनें।
VI. सभी प्रकार के सेवा प्रभार, ढुलाई और भाड़ा प्रभार।
VII. क्लोज्ड सर्किट टीवी कैमरा और सुरक्षा पद्धति से संबंधित उपकरण।
VIII. परामर्श फीस, कर, भाड़ा आदि।
IX. लेखन सामग्री की मदें।
X. शीत श्रृंखला अथवा भण्डारण अवसंरचना से सीधे नहीं जुडी हुई संयंत्र और मशीनरी।
(सूची केवल उदाहरण स्वरूप है, पूर्ण नहीं)

7. **अनुदान की पात्रता**

(अ) **अनुदान–सहायता** : बैंक द्वारा आकलित परियोजना लागत का 35% दर अथवा रूपये 5 करोड़ रूपए, जो भी कम हो, प्रति परियोजना अनुदान–सहायता के रूप में दिया जायेगा। भूमि और प्रचालन–पूर्व खर्च की लागत, अनुदान–सहायता के प्रयोजनार्थ पात्र नहीं होगी।

(ब) **ब्याज अनुदान** : ब्याज अनुदान परियोजना पूरी होने की तारीख से 5 वर्षो की अवधि के लिए होगा। ब्याज सब्सिडी बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत सावधि ऋण पर 6% की दर से आया वास्तविक ब्याज अथवा 2 करोड़ रूपये, जो भी कम हो प्रत्येक वर्ष प्रति परियोजना दी जाएगी।

8. **अपेक्षित दस्तावेज (सूची केवल सांकेतिक है)**

निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र (परिशिष्ट–4)

I. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) ।

II. बैंक/वित्तीय संस्थान का सावधि ऋण का स्वीकृति पत्र, यदि कोई हो।

III. बैंक/वित्तीय संस्थान की मूल्यांकन रिपोर्ट।

IV. संगठन के समावेशन/पंजीकरण का पत्र, संस्था ज्ञापन–पत्र और अन्तर्नियम और सोसायटी के उपनियम (यदि लागू हों) भागीदारी प्रलेख आदि।

V. संगठन के पदाधिकारियों/प्रमोटरों का जीवनवृत/पृष्ठभूमि।

VI. पिछले तीन वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित लेखा विवरण, विस्तार/उन्नयन प्रस्तावों/मामलों की स्थिति में।

VII. बिल्डिंग प्लान का ब्लू प्रिंट।

VIII. भूमि दस्तावेज की प्रति।

IX. परिकल्पित तकनीकी सिविल निर्माण कार्यो का मद–वार और लागत–वार ब्यौरा, चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) द्वारा विधिवत प्रमाणित।

X. परिकल्पित संयंत्र और मशीनरी का मद–वार और लागत–वार ब्यौरा, चार्टर्ड इंजीनियर (मेकेनिकल) द्वारा विधिवत प्रमाणित।

XI. परियोजना के लिए अपेक्षित संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरण आदि के आपूर्तिकर्ताओं के कोटेशन।

XII. विपणन कार्यनीति।

XIII. प्रक्रिया प्रवाह आरेख।

XIV. उद्योग आधार ज्ञापन/ई.एम. पार्ट–2/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र

XV. क्रियान्वयनसमय–तालिका, जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख किया गया हो:

(क) भूमि अधिग्रहण/भू–आबंटन का दिनांक (ख) भवन निर्माण कार्य शुरू करने का दिनांक, (ग) भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने का दिनांक, (घ) संयंत्र और मशीनरी के लिए आर्डर देने का दिनांक, (ड़) संस्थापन/उत्थापन का दिनांक, (च) परीक्षण उत्पादन/प्रचालन का दिनांक, और (छ) वाणिज्यक उत्पादन/ प्रचालन का दिनांक।

XVI. 100/– रूपए न्यूनतम मूल्य के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत निष्पादित एक **शपथ–पत्र** जो पब्लिक नोटरी द्वारा निम्नलिखित की पुष्टि करते हुए विधिवत नोटरीकृत किया गया हो :

(क) संगठन की सहयोगी–संस्था/संबद्ध कंपनी/समूह कंपनी और स्वयं आवेदक कंपनी ने विगत में खाद्य प्रसंस्करण परियोजना के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई)/राज्य शासन से किसी वित्तीय सहायता का लाभ उठाया है अथवा नहीं, यदि हां तो, उसका विवरण।

(ख) संगठन ने इसी प्रयोजन/कार्यकलाप/ऐसे ही घटकों के लिए केन्द्रीय सरकार/भारत सरकार के संगठन/एंजेसी और राज्य सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग से कोई अनुदान/सब्सिडी प्राप्त नहीं की है/आवेदन नहीं किया है अथवा प्राप्त नहीं करेगा, यदि हां तो उसका ब्यौरा।

(परिशिष्ट–11)

9. **अनुदान जारी करना** – अनुदान–सहायता की राशि, लाभार्थी द्वारा अपने हिस्से के व्यय किए जाने के बाद, निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार तीन किश्तों में जारी की जाएगी:

9.1 **पहली किश्त जारी करना** – योजना के अंतर्गत कुल अनुदान के 25% की पहली किश्त यह सुनिश्चित करने के बाद जारी की जाएगी कि प्रमोटर के अंशदान का 25% और सावधि ऋण का 25% परियोजना पर खर्च किया जा चुका है। आवेदक को पहली किश्त के लिए अनुरोध करने के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :–

I. विधिवत नोटरीकृत **जमानत बांड** : लाभार्थी कंपनी द्वारा न्यूनतम 100/– रूपए के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाएगा (परिशिष्ट–8)।

II. विधिवत नोटरीकृत **शपथ–पत्र** : लाभार्थी कंपनी द्वारा न्यूनतम 100/– रूपए के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाएगा (परिशिष्ट12)।

III. बैंक प्रमाणपत्र : यह प्रमाणित करते हुए कि उन्होने सावधि ऋण का 25% जारी कर दिया है स्वीकृत अनुदान की पहली किस्त जारी करने पर उन्हे कोई आपत्ति नहीं है (परिशिष्ट–5)

IV. चार्टर्ड लेखाकार प्रमाणपत्र : वित्तपोषण के साधन और प्रमोटर अंशदान के 25% और सावधि ऋण के 25% उपयोग को दर्शाते हुए परियोजना पर किया गया वास्तविक खर्च। (परिशिष्ट–10)

V. आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं के बीजक/प्राप्ति रसीद।

VI. तकनीकी सिविल कार्यो के लिए चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) का प्रमाणपत्र जिसमें मद–वार प्रगति, लागत, मात्रा, विनिर्माता/ आपूर्तिकर्ता का उल्लेख और कोटि के संबंध में टिप्पणी की गई हो।

VII. संयंत्र और मशीनरी के संबंध में चार्टर्ड इंजीनियर (मेकेनिकल) का प्रमाणपत्र जिसमें मद–वार प्रगति, लागत, मात्रा, विनिर्माता/ आपूर्तिकर्ता का उल्लेख और कोटि के संबंध में टिप्पणी की गई हों।

VIII. अनुदान–सहायता अनुमोदन पत्र में लगाई गई शर्तो यदि कोई हो, का अनुपालन।

IX. परियोजना की वास्तविक प्रगति का पता लगाने के लिए स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन।

9.2 **दूसरी किस्त जारी करना** – कुल अनुदान की 50% की दूसरी किस्त, जारी किए गए अनुदान की पहली किस्त के उपयोग करने पर इकाई द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के आधार पर और सावधि ऋण का भी 75% और प्रमोटर के अंशदान के 75% का उपयोग करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की जाएगी।

I. उपयोगिता प्रमाणपत्र : चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित और बैंक तथा लाभार्थी कंपनी के प्रमोटर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित (परिशिष्ट 11)।

II. बैंक प्रमाण : यह प्रमाणित करते हुए कि उन्होंने सावधि **ऋण का 75% तथा** राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी है। उन्हे स्वीकृत अनुदान की दूसरी किस्त जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं है (परिशिष्ट–5)।

III. चार्टर्ड लेखाकार प्रमाणपत्र : वित्तपोषण के साधनों और प्रमोटर के अंशदान के 75%, सावधि ऋण के 75% और जारी अनुदान की पहली किस्त का उपयोग दर्शाते हुए परियोजना पर किया गया वास्तविक खर्च (परिशिष्ट–10)।

IV. चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) का प्रमाणपत्र : तकनीकी सिविल कार्यो के संबंध में प्रमाण–पत्र जिसमें मद–वार प्रगति, लागत, मात्रा, विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता का उल्लेख किया गया हो तथा जिसमें गुणवत्ता के संबंध में टिप्पणी की गई हो।

V. संयंत्र और मशीनरी के संबंध में चार्टर्ड इंजीनियर (मेकेनिकल) का प्रमाणपत्र जिसमें मद–वार प्रगति, लागत, मात्रा, विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता का उल्लेख किया गया हो और जिसमें गुणवत्ता के संबंध में टिप्पणी की गई हो।

VI. अनुदान की पहली किस्त जारी करने के समय लगाई गई शर्तो यदि कोई हो, का अनुपालन।

VII. परियोजना की वास्तविक प्रगति का पता लगाने के लिए स्थल निरीक्षण।

**9.3 तीसरी किश्त जारी करना** – अनुदान की तीसरी किश्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा यूनिट द्वारा नीचे विनिर्दिष्ट दस्तावेज प्रस्तुतीकरण के आधार पर जारी की जाएगी जिसमें यह उल्लेख किया जाएगा कि अनुदान की पहली और दूसरी किस्त का और सावधि ऋण का 100 % और प्रमोटर के अंशदान का भी 100% का उपयोग कर लिया गया है :

I. उपयोगिता प्रमाणपत्र : सीए द्वारा प्रमाणित और बैंक तथा लाभ प्राप्तकर्ता कंपनी के प्रमोटर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित (परिशिष्ट–11)।

II. बैंक प्रमाण पत्र : यह प्रमाणित किया जाए कि उन्होंने सावधि ऋण का 100% तथा राज्य द्वारा स्वीकृत अनुदान की दूसरी किस्त जारी कर दी है। उन्हें राज्य द्वारा जारी की जाने वाली अनुदान की तीसरी किस्त जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं है (परिशिष्ट–5)।

III. चार्टर्ड लेखाकार प्रमाणपत्र : वित्तपोषण के साधनों और प्रमोटर के अंशदान के 100%, सावधि ऋण के 100% और जारी अनुदान की दूसरी किस्त का उपयोग दर्शाया गया हो : परियोजना पर किया गया वास्तविक खर्च (परिशिष्ट–10)।

IV. चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) का प्रमाणपत्र : तकनीकी सिविल निर्माण कार्यो के संबंध में प्रमाण–पत्र जिसमें मद–वार प्रगति, लागत, मात्रा, विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता का उल्लेख किया गया हो ।

V. संयंत्र और मशीनरी के संबंध में चार्टर्ड इंजीनियर (मेकेनिकल) का प्रमाणपत्र जिसमें मद–वार प्रगति, लागत, मात्रा, विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता का उल्लेख किया गया हो

VI. अनुदान की दूसरी किश्त जारी करने के समय लगाई गई शर्तो यदि कोई हो, का अनुपालन।

VII. परियोजना के पूरे होने और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की जांच–पड़ताल करने के लिए स्थल निरीक्षण।

VIII. अनुदान–सहायता की तीसरी और अन्तिम किश्त जारी करने **से पहले,** परियोजना के लिए पात्र अनुदान–सहायता को पहले से अनुमोदित मदों के संबंध में प्रस्तावित/आकलित/वास्तविक लागत जो भी कम हो, के आधार पर पुनः परिकलित की जाएगी और तदनुसार जारी की जाएगी।

10. **स्वीकृत परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण –** संचालक उद्योग उद्योग संचालनालय स्वीकृत परियोजाओं के क्रियान्वयन में सरलता हेतु आवश्यकतानुसार प्रणाली विकसित कर प्रभावी पर्यवेक्षण करेंगे ताकि स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों/बाधाओं का निरीक्षण यथा समय हो सके।

III– **छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र/संग्रहण केन्द्र (पीसीसी/सीसी) की स्थापना हेतु दिशा निर्देश :–**

1. **उद्देश्य**

योजना का उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना है। यह शीघ्र खराब होनी वाली उपज की शेल्फ लाइफ में वृद्धि करने के लिए किसानों की सहायता हेतु ग्राम स्तर पर प्रसंस्करण और परिरक्षण सुविधांए उपलब्ध कराकर ही प्राप्त किया जा सकता है।

2. **योजना की मुख्य विशेषताएं**

प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र/संग्रहण केन्द्र की स्थापनायोजना में निम्नलिखित घटक होंगे :–

I. भूमि की न्यूनतम आवश्यकता 1–2 एकड़ होगी।

II. फार्म स्तर पर न्यूनतम प्रसंस्करण सुविधाएं जिनमें नाप–तौल, सफाई, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग, प्रि–कूलिंग, नियंत्रित वातावरण (Controlled Atmosphere)/संशोषित वातावरण (Modified Atmosphere), शीतगार, शुष्क मालगोदाम और आईक्युएफ शामिल है।

III. प्री–कूलिंग मोबाइल ट्रक और रीफर ट्रक जो शीघ्र सड़ने–गलने वाली कृषि उपज/उद्यनिकी उपज/डेयरी/मत्स्य उत्पाद के लिए उपयुक्त हो।

3. **पात्र क्षेत्र**

यह योजना उद्यानिकी और गैर– उद्यानिकी उत्पाद जैसे फल, सब्जियां, अनाज और दालें, डेयरी उत्पाद, कुक्कुट और मत्स्य आदि के लिए लागू होंगें।

4. **पात्र संगठन**

उपरोक्त सुविधाओं का विकास करने के लिए व्यक्तिगत उद्यमी/किसान, उद्यमी समूह/किसान, एसोसिएशन, सहकारी समितियां, स्व–सहायता समूहों, के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होंगें।

5.. **पात्रता शर्तें**

I. परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए आवेदक की कुछ वित्तीय पृष्ठभूमि होनी चाहिए।

II. परियोजना के प्रस्तावों का बैंक/वित्तीय संस्थानों द्वारा विधिवत मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

III. मूल्यांकन रिपोर्ट में वे सभी परियोजना घटक सम्मिलित होने चाहिए जिनके लिए अनुदान की मांग की गई है।

IV. वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से पहले की नहीं होनी चाहिए।

6. **सहायता पैटर्न** : योजना के अन्तर्गत अनुदान–सहायता की अधिकतम देय राशि नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार 2.50 करोड़ रूपए है :

I. पीपीसी/सीसी के लिए अनुदान–सहायता पात्र परियोजना लागत की 50% की दर से उपलब्ध करायी जाएगी।

II. भूमि की लागत, प्रचालन–पूर्व व्यय, कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन राशि और आकस्मिकता, गैर–तकनीकी सिविल कार्यो और संयंत्र तथा मशीनरी, जो सीधे पीपीसी/सीसी से सम्बद्ध न हो, पात्र उत्पाद लागत की गणना करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

7. **अनुदान जारी करना** : अनुमोदित अनुदान–सहायता लाभार्थी द्वारा इक्विटी का अपन हिस्सा खर्च करने के बाद 2 किस्तों में निम्नालिखित विवरण के अनुसार जारी की जाएगी :

7.1 अनुमोदित अनुदान सहायता की 50% दर से पहली किस्त, प्रमोटर द्वारा इक्विटी के अपने हिस्से में से 50% व्यय का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जारी की जाएगी बशर्ते कि निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं :–

I. विधिवत नोटरीकृत **जमानत बांड** : कम से कम 100/– रूपए के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाएगा (परिशिष्ट –8)

II. विधिवत नोटरीकृत **शपथ–पत्र** : कम से कम 100/– रूपए के गैर–न्यायिक स्टाम पेपर पर निष्पादित किया जाएगा (परिशिष्ट – 9)

III. चार्टर्ड लेखाकार प्रमाणपत्र : परियोजना पर किया गया वास्तविक खर्च, जिसमें वित्त–पोषण के उपायों और प्रमोटर के अंशदान के 50 : उपयोग का उल्लेख किया जाएगा (परिशिष्ट – 10)

IV. स्थल निरीक्षण रिपोर्ट।

7.2 **50% की दर से दूसरी किस्त निम्नलिखित शर्त पूर्ण करने पर जारी की जाएगी** :

I. जीएफआर 19 क के अनुसार पहली किश्त का उपयोगिता प्रमाणपत्र (परिशिष्ट–11)

II. सीएप्रमाण पत्र, जिसमें प्रमोटर के अंशदान का 100% व्यय दर्शाया गया हो (परिशिष्ट – 10)

III. स्थल निरीक्षण रिपोर्ट।

8. **स्वीकृत परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण** – संचालक उद्योग उद्योग संचालनालय स्वीकृत परियोजाओं के क्रियान्वयन में सरलता हेतु आवश्यकतानुसार प्रणाली विकसित कर प्रभावी पर्यवेक्षण करेंगे ताकि स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों/बाधाओं का निरीक्षण यथा समय हो सके।

## IV - छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत रीफर वाहन योजना के लिए दिशा–निर्देश

1. **उद्देश्य**

योजना का उद्देश्य, उद्यानिकी और गैर– उद्यानिकी उपजों के परिवहन के लिए स्टेण्डअलोन रीफर वाहनों और प्री–कूलिंग वेनों वाहन (रीफर यूनिट और रीफर केबिनेट स्थायी रूप से जड़े हुए) वाहनों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना से उत्पादकों के समूहों को, सुसज्जित आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के माध्यम से प्रसंस्करणकर्ताओं और बाजारों के साथ जोड़ा जा सकेगा।

2. **पात्रता**

2.1 अलग–अलग उद्यमियों, भागीदार फर्मों, पंजीकृत सोसायटियों, सहकारी समितियों, एसएचजी, कम्पनियों और निगमों के लिए उपलब्ध होगी।

2.2 आवेदक/लाभार्थियों की वित्तीय पृष्ठभूमि सुदृढ होनी चाहिए तथा परियोजनाओं को सहायता के जरिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों के सावधि ऋण के माध्यम से ही दी जानी चाहिए।

3. **मुख्य विशेषताएं** : योजना के अन्तर्गत उद्यानिकी और गैर– उद्यानिकी उपजों दोनों के परिवहन के लिए रीफर वाहनों और मोबाइल प्री–कूलिंग वेनों (रीफर यूनिट और रीफर केबिनिट स्थायी रूप से जुड़े हुए) की खरीद के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अन्तर्गत, शीघ्र सड़ने–गलने वाली उपजों के शिपमेंट/परिवहन के लिए प्रयुक्त रीफर कन्टेनर (वाहनों पर स्थाई रूप से जड़े हुए नहीं) सम्मिलित नहीं है।

4. **सहायता की मात्रा** – रीफर वाहन/मोबाइल प्री कूलिंग, नए रीफर वाहनों/मोबाइल प्री कूलिंग की लागत के 50% की दर से अधिकतम 50.00 लाख रूपए होगी।

5. **अपेक्षित दस्तावेज (सूची केवल संकेतात्मक है)**

I. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन–पत्र (संलग्नक-7)
II. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)।
III. बैंक/वित्तीय संस्थान की सावधि ऋण का मंजूरी पत्र, यदि कोई हो।
IV. बैंक/वित्तीय संस्थान आंकलन रिपोर्ट।
V. संगठन का संस्थापना/पंजीकरण प्रमाणपत्र, संस्था का ज्ञापन और अनुच्छेद तथा सोसायटी के उपनियम (यदि लागू हो)/भागीदारी प्रलेख आदि।
VI. संगठन के पदाधिकारियों/प्रमोटरों का जीवन–वृत्त/पृष्ठभूमि।
VII. पिछले तीन वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित लेखा विवरण, विस्तार/उन्नयन प्रस्तावों/मामलों की स्थिति में।
VIII. बिल्डिंग प्लान का ब्लू प्रिंट।
IX. भूमि दस्तावेज की प्रति।
X. परिकल्पित तकनीकी सिविल निर्माण कार्यो का मद–वार और लागत–वार ब्यौरा, चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) द्वारा प्रमाणित।
XI. परिकल्पित संयंत्र और मशीनरी का मद–वार और लागत–वार ब्यौरा, चार्टर्ड इंजीनियर (मेकेनिकल) द्वारा प्रमाणित।
XII. परियोजना के अपेक्षित संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरण आदि आपूर्तिकर्ताओं के कोटेशन।
XIII. विपणन कार्यनीति।

XIV. प्रक्रिया प्रवाह आरेख।

XV. एसएसआई/आईईएम पंजीकरण आदि।

XVI. कार्यान्वयन समय–तालिका, जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख किया गया हो: (क) भूमि अधिग्रहण की तारीख, (ख) भवन निर्माण कार्य शुरू करने की तारीख, (ग) भवन के पूरा होने की तारीख, (घ) संयंत्र और मशीनरी के लिए आर्डर देने की तारीख,(ड.) संस्थापन/उत्थापन की तारीख, (च) उत्पादन/प्रचालन की तारीख, और (छ) वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन की तारीख।

XVII. 100/– रूपए अथवा अधिक मूल्य के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत निष्पादित एक **शपथ–पत्र** जो पब्लिक नोटरी द्वारा निम्नलिखित की पुष्टि करते हुए विधिवत नोटरीकृत किया गया हो:

क. संगठन की सहयोगी–संस्था/सम्बद्ध/राज्य शासन से समूह कम्पनी और स्वयं आवेदक कम्पनी ने विगत में एमएफपीआई से खाद्य प्रसंस्करण परियोजना के लिए किसी वित्तीय सहायता का लाभ उठाया है या नहीं, यदि हां तो उसका ब्यौरा।

ख. संगठन ने इसी प्रयोजन/कार्यकलाप/उन्हीं घटकों के लिए केन्द्र सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग/भारत सरकार के संगठन के किसी मंत्रालय/विभाग/भारत सरकार के संगठन/एजेंसी और राज्य सरकार से अनुदान/सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं किया है/प्राप्त नहीं किया है/आवेदन नहीं करेगा/प्राप्त नहीं करेगा।

(परिशिष्ट–9)

6. **अनुदान जारी करना** – परियोजना की लागत के 50% की दर से अधिकतम 50 लाख रूपए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के पर जारी किए जाँएगे :

I. विधिवत नोटरी कृत **जमानत बांड** : लाभ प्राप्तकर्ता कम्पनी द्वारा कम से कम 100/– रूपए के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया गया हो (परिशिष्ट – 8)

II. विधिवत नोटरीकृत **शपथ पत्र** : लाभ प्राप्तकर्ता कम्पनी द्वारा कम से कम 100/– रूपए के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया गया हो (परिशिष्ट–9)

III. बैंक प्रमाण पत्र : यह प्रमाणित करते हुए कि उन्होंने सावधि ऋण जारी कर दिया है और राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जा रही बैंक एंडेड सब्सिडी जारी करने पर इन्हे कोई आपत्ति नहीं है।(संलग्नक – 5)

IV. चार्टर्ड लेखाकार प्रमाणपत्र : वित्त पोषण के साधन दर्शाते हुए परियोजना पर किया गया वास्तविक खर्च, (परिशिष्ट–10)

V. संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण (आरएलए) द्वारा जारी एवं नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि।

VI. प्रमुखता से यह प्रदर्शित किया जाएगा कि "रीफर वाहन/मोबाइल प्री–कूलिंग वैन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन से वित्तीय सहायता प्राप्त

VII. रीफर वैनों के फोटोग्राफ जिसमें अगली और पिछली नम्बर प्लेट और रीफर/चल को स्पष्ट रूप से दिखाया गया हो।

VIII. अनुदान–सहायता के अनुमोदन पत्र में लगाई गई शर्तों का अनुपालन यदि कोई हों। रीफर/मोबाइल प्री–कूलिंग वैन का भौतिक निरीक्षण।

7. **स्वीकृत परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण** – संचालक उद्योग उद्योग संचालनालय स्वीकृत परियोजाओं के क्रियान्वयन में सरलता हेतु आवश्यकतानुसार प्रणाली विकसित कर प्रभावी पर्यवेक्षण करेंगे ताकि स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों/बाधाओं का निरीक्षण यथा समय हो सके।

**परिशिष्ट 1**

**छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का नवीन स्थापना/तकनीकी उन्नयन/आधुनिकीकरण योजना के लिए आवेदन–फार्म**

| क्र. सं. | विवरण | ब्यौरा |
|---|---|---|
| क – प्रवर्तक | | |
| 1. | **आवेदक/आवेदक इकाई** का नाम और पता, टेलिफोन, फैक्स, ई–मेल आदि सहित | |
| 2. | संगठन का प्रकार | |
| 3. | आवेदक संगठन की पृष्ठभूमि | |
| 4. | वित्तीय स्थिति | |
| 5. | विद्यमान उद्योग, यदि कोई हो | |
| **ख – परियोजना विवरण** | | |
| 6. | परियोजना का नाम | |
| 7. | परियोजना का स्थान/क्षेत्र | |
| 8. | उत्पाद/उप – उत्पाद | |
| 9. | पूर्ण प्रवाह चार्ट के सहित प्रसंस्करण | |
| 10. | प्रौद्योगिकी (स्वदेशी/आयातित) | |
| 11. | संयंत्र/यूनिट की क्षमता | |
| 12. | विद्यमान सुविधाओं/यूनिट के विस्तार/आधुनिकीकरण के मामले में (विद्यमान क्षमता और विस्तार के बाद प्रस्तावित क्षमता और साथ ही क्षमता उपयोग का ब्यौरा) | |
| ग – | **परियोजना लागत (प्रस्तावित, आकलित लागत का अलग – अलग उल्लेख करते हुए)** | |
| 13. | स्थायी पूंजी निवेश<br>(I) भूमि<br>(II) शेड– भवन<br>(III) कुल सिविल कार्य की लागत (अपात्र मदों को समावेश करते हुए)<br>(IV) तकनीकी सिविल कार्य की लागत | |
| 14. | संयंत्र और मशीनरी (स्वदेशी )(क्षमता/विनिर्देशन/लागत) | |
| 15. | आयातित मशीनरी (क्षमता/विनिर्देशन/लागत) | |
| 16. | प्रचालन – पूर्व खर्च (प्री ऑपरेटिव व्यय) | |
| 17. | कार्यशील पूंजी<br>(1) कच्ची सामग्री/पैकिंग (स्त्रोत/मात्रा/लागत) | |
| | (2) श्रम (मात्रा/लागत)<br>(3) निःस्त्राव निपटान (विधि/मशीनरी/लागत) | |

| | | |
|---|---|---|
| **घ – वित्तीय साधन (प्रस्तावित और आकलित वित्त का अलग – अलग उल्लेख करते हुए)** | | |
| 18. | वित्त पोषण के साधन<br>क) इक्विटी (प्रमोटर/विदेशी/अन्य)<br>ख) ऋण (सावधि/कार्यशील पूंजी)<br>ग) अनुदान – सहायता<br>घ) अन्य स्त्रोत | |
| 19. | वित्तीय बैंचमार्क<br>क) नकदी प्रवाह<br>ख) ब्रेक इवन पांइट<br>ग) प्रतिफल की आन्तरिक दर<br>घ) ऋण – इक्विटी अनुपात<br>ड) ऋण सेवा कवरेज अनुपात | |
| 20. | विस्तार/आधुनिकीकरण के मामले में उपरोक्त सभी बैंचमार्क अलग–अलग दिए जाएं – विद्यमान और साथ ही प्रस्तावित भी | |
| 21. | विस्तार/आधुनिकीकरण प्रस्तावों के मामले में, विगत तीन वर्षो का परीक्षित तुलना–पत्र संलग्न किया जाए | |
| **ड. – विपणन** | | |
| 22. | विपणन<br>क) विद्यमान बाजार<br>ख) भावी मांग<br>ग) विपणन कार्यनीति<br>घ) फार्म के साथ लिंकेज/पश्च लिंकेज<br>ड) भावी (वायदा) बाजार लिंकेज | |
| **च – क्रियान्वयन अनुसूची** | | |
| 23. | कार्य की मद \| क्रियान्वयनकी तारीख (आरेख चार्ट/माइल स्टोन चार्ट संलग्न किए जाएं) | |
| **छ – कार्मिक** | | |
| 24. | अपेक्षित और उपलब्ध तकनीकी और प्रबंधकीय (प्रचालन, अनुरक्षण, प्रबंधकीय, वित्त, विपणन आदि) कार्मिकों का ब्यौरा | |
| | | |
| **ज – रोजगार सृजन – प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष** | | |
| 25. | क) प्रत्यक्ष<br>ख) अप्रत्यक्ष | |

## घोषणा–पत्र

1. उक्त आवेदन पत्र में अनुक्रमांक–1 से लेकर अनुक्रमांक–28 तक दी गई जानकारी मेरे मत एवं ज्ञान में सही है।

2 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012–19 के अंतर्गत योजना पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता का लाभ नही लिया है एवं न ही आवेदन दिया है।

3 राज्य शासन की किसी औद्योगिक नीति में स्थायी पूंजी निवेश अनुदान का लाभ नही लिया है एवं न ही आवेदन दिया है।

4. हमारी इकाई औद्योगिक नीति 20014–19 के लागू होने के दिनांक 01 नवंबर 2014 के पश्चात् दिनांक ...................................... को स्थापित हुई है।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

संगठन की मोहर

**संलग्नक** : संलग्न दस्तोवजों की सूची

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

परिशिष्ट 2

(बैंक का लेटर हेड)

<u>प्रमाण – पत्र</u>

(मूल प्रति में)

1. छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयो का तकनीकी उन्नयन/नवीन स्थापना/आधुनिकीकरण योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार अनुदान हेतु मेसर्स ............................................... (इकाई का नाम और पता) की परियोजना का मूल्यांकन किया है और ....................................... लाख रूपए (यदि लागू हों) का सावधि ऋण भी स्वीकृत किया है।
2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स ................................................... (इकाई का नाम और पता) को रूपए ............................... लाख (मंजूर सावधि ऋण का ........%) वितरित कर दिए गये है।
3. राज्य सरकार द्वारा मंजूर अनुदान की **पहली किस्त** जारी करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

(हस्ताक्षर)
(नाम)
शाखा प्रबंधक
शाखा आईएफएससी कोड ........................

प्रति,

1. उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग,
   उद्योग संचालनालय छ0ग0
   उद्योग भवन, रायपुर
2. प्रबंध संचालक,
   सीएसआईडीसी
   उद्योग भवन, रायपुर
3. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक,
   जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ...................................

परिशिष्ट 3

(बैंक का लेटर हेड)

प्रमाण – पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि इस बैंक ने मेसर्स .............................................(इकाई का नाम और पता) को स्वीकृत सावधि ऋण का 100 प्रतिशत (यदि लागू हो), अर्थात रूपए .................................. वितरित कर दिया है और छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत दिनांक ....................... के मंजूरी आदेश सं.................................................... के तहत जारी .................................... लाख रूपए के अनुदान की पहली किस्त भी वितरित कर दी है जिसे फर्म (इकाई का नाम और पता) के खाता संख्या ........................... में क्रेडिट कर दिया गया है।

2. राज्य सरकार द्वारा मंजूर अनुदान की **दूसरी किस्त** जारी करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

(हस्ताक्षर)
(नाम)
शाखा प्रबंधक
शाखा आईएफएससी कोड ........................

प्रति,

1. उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग,
   उद्योग संचालनालय छ0ग0
   उद्योग भवन, रायपुर
2. प्रबंध संचालक,
   सीएसआईडीसी
   उद्योग भवन, रायपुर
3. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक,
   जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ..................................

**परिशिष्ट 4**

**छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी क्षेत्रों में कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन एवं परिरक्षण अधोसंरचना विकास योजना के लिए आवेदन–पत्र**

| क्र.सं. | विवरण | ब्यौरा |
|---|---|---|
| **क. प्रमोटर** | | |
| 1. | प्रमोटर का नाम और पता, टेलीफोन, फैक्स, ई–मेल आदि सहित। | |
| 2. | संगठन का प्रकार | |
| 3. | आवेदक संगठन की पृष्ठभूमि/प्रत्ययपत्र, खाद्य प्रसंस्करण अथवा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में अनुभव का ब्यौरा, यदि कोई हो। | |
| 4. | वित्तीय स्थति। | |
| 5. | विद्यमान उद्योग, यदि कोई हो। | |
| **ख. परियोजना विवरण** | | |
| 6. | परियोजना का नाम | |
| 7. | परियोजना का स्थान/क्षेत्र | |
| 8. | उत्पाद/उप–उत्पाद | |
| 9. | पूरे प्रवाह चार्ट के साथ शीत श्रृंखला प्रोसेस, | |
| 10. | प्रौद्योगिकी (देशज/आयातित) | |
| 11. | एकीकृत शीत श्रृंखला के विभिन्न घटकों (शीत भण्डारण, सीए/एमए चेम्बर, डीप फ्रीजर, ऑक्यूएफ (मी.टन/घंटे में), रीफर वैन (संख्या और मी.टन में) की क्षमताएं। | |
| 12. | विद्यमान सुविधाओं/यूनिटों के विस्तार/आधुनिकीकरण कें मामले में (विद्यमान क्षमता आ ब्यौरा तथा विस्तार के बाद प्रस्तावित क्षमता, क्षमता उपयोग सहित) | |
| **ग. परियोजना लागत (प्रस्तावित लागत, आकलित लागत का अलग–अलग उल्लेख करते हुए)** | | |
| 13. | पंजी निवेश (अचल पूंजी)<br>I. भू–खण्ड लागत<br>II. भवन निर्माण की लागत<br>III. कुल सिविल कार्य की लागत<br>IV. तकनीकी सिविल कार्य की लागत | |
| 14. | संयंत्र और मशीनरी (स्वदेशी)(क्षमता/विनिर्देशन/लागत) | |
| 15. | आयातित मशीनरी (क्षमता/विनिर्देशन/लागत) | |
| 16. | प्रचालन–पूर्व खर्च | |
| 17. | कार्यशील पूंजी | |
| 18. | कच्ची सामग्री/पैकिंग (स्राव/मात्रा/लागत) | |
| 19. | श्रम (मात्रा/लागत) | |
| 20. | निःस्राव निपटान (पद्धति/मशीनरी/लागत) | |
| **घ. वित्तपोषण के साधन (वित्तपोषण के प्रस्तावित और आँके गए वित्तपोषण उपायों का अलग–अलग उल्लेख करते हुए)** | | |
| 21. | वित्त पोषण के साधन<br>(क) इक्विटी (प्रमोटर/विदेशी/अन्य) | |

| | | |
|---|---|---|
| | (ख) ऋण (सावधि/कार्य पूंजी)<br>(ग) अन्य स्त्रोतों से सहायता<br>(घ) अनुदान | |
| 22. | वित्त बैचमार्क<br>(क) नकदी प्रवाह<br>(ख) ब्रेक इवन प्वाइंट<br>(ग) प्रतिफल की आंतरिक दर<br>(घ) ऋण–इक्विटी अनुपात<br>(ड़) ऋण सेवा व्याप्ति अनुपात | |
| 23. | विस्तार/आधुनिकीकरण के मामले में, उपरोक्त सभी बैचमार्क अलग–अलग दिए जाने चाहिए – विद्यमान और साथ ही पूर्वानुमानित थी। | |
| ड. **विपणन** | | |
| 24. | विपणन<br>(क) विद्यमान बाजार<br>(ख) भावी मांग<br>(ग) विपणन कार्यनीति<br>(घ) खेत के लिए लिंकेज/पक्ष लिंकेज<br>(ड़) वायदा बाजार लिंकेज | |
| च. **क्रियान्वयन अनुसूची** | | |
| 25. | कार्य की मद क्रियान्वयन की तारीख (बार चार्ट/ माइलस्टोन चार्ट अथवा पीडीआरटी/सीपीएम संलग्न लिए जाएं।) | |
| छ. **कर्मचारी** | | |
| 26. | अपेक्षित और उपलब्ध तकनीकी एवं प्रबंधकीय एवं प्रबंधकीय कार्मिकों का ब्यौरा (प्रचालन, अनुरक्षण, प्रबंधन, वित्त विपणन आदि) | |
| ज. **रोजगार सृजन–प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष** | | |
| 27. | (क) प्रत्यक्ष (पुरूष और महिला महिला अलग–अलग)<br>(ख) अप्रत्यक्ष (पुरूष और महिला अलग–अलग) | |

**हस्ताक्षर**
**नाम और पदनाम**
**संगठन की मोहर**

**दिनांक :**
**स्थान :**
**संलग्नक : दस्तावेजों की सूची**

**परिशिष्ट 5**

(बैंक का लेटर हेड)

प्रमाण – पत्र

1. छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी क्षेत्रों में कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन एवं परिरक्षण अधोसंरचना विकास योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन द्वारा स्वीकृत अनुदान हेतु मेसर्स............................................... ..........(इकाई का नाम और पता) की परियोजना का मूल्यांकन किया है और ........................................ लाख रूपए (यदि लागू हो) का सावधि ऋण भी स्वीकृत किया है।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि हमने मैसर्स .................................... (इकाई का नाम और पता) को .................................. लाख रूपए (मंजूर सावधि ऋण का .........%) वितरित कर दिया है।

3. राज्य सरकार द्वारा मंजूर अनुदान की **पहली/दूसरी/तीसरी किस्त** जारी करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

(हस्ताक्षर)

(नाम)

**शाखाप्रबंधक**

शाखा आईएफएससी कोड ........................

प्रति,

1. उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग,
   उद्योग संचालनालय छ0ग0
   उद्योग भवन, रायपुर
2. प्रबंध संचालक,
   सीएसआईडीसी
   उद्योग भवन, रायपुर
3. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक,
   जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ..................................

परिशिष्ट 6

## छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र/संग्रह केन्द्र/(पीसीसी/सीसी) स्थापित करने के लिए आवेदन–फार्म

| क्र. सं. | विवरण | ब्यौरा |
|---|---|---|
| **क. प्रमोटर** | | |
| 1. | टेलीफोन सं., फैक्स, ई–मेल आदि सहित प्रमोटर का नाम और पता, | |
| 2. | संगठन का प्रकार | |
| 3. | आवेदक संगठन की पृष्ठभूमि खाद्य प्रसंस्करण अथवा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में अनुभव का ब्यौरा, यदि कोई हो। | |
| 4. | वित्तीय स्थति | |
| 5. | विद्यमान उद्योग, यदि कोई हो। | |
| **ख. परियोजना विवरण** | | |
| 6. | परियोजना का नाम | |
| 7. | परियोजना का स्थान/क्षेत्र | |
| 8. | उत्पाद/उप– उत्पाद | |
| 9. | शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यकलापों का फ्लोचार्ट | |
| 10. | प्रौद्योगिकी/(स्वदेशी/आयातित) | |
| 11. | पीपीसी/सीसी के विभिन्न घटकों की क्षमताएं | |
| 12. | पीपीसी/सीसी में संचालित किए जाने वाले उत्पाद/वस्तुएं | |
| **ग. परियोजना लागत (प्रस्तावित लागत, आकलित लागत का अलग–अलग उल्लेख किया जाए)** | | |
| 13. | पूंजी निवेश (अचल पूंजी) | |
| | क) भू–खण्ड की लागत | |
| | ख) भवन की लागत | |
| | ग) कुल सिविल कार्य की लागत | |
| | घ) तकनीकी सिविल कार्य | |
| 14. | संयंत्र और मशीनरी (स्वेदेशी) (क्षमता/विनिर्देशन/लागत) | |
| 15. | आयातित मशीनरी (क्षमता, विनिर्देशन,लागत) | |
| 16. | प्रचालन–पूर्व खर्च | |
| 17. | पूंजी | |
| 18. | कच्ची सामग्री/पैकिंग (स्त्रोत/मात्रा/लागत) | |
| 19. | श्रम (मात्रा/लागत) | |
| 20. | Effluent Disposal (पद्धति/मशीनरी/लागत) | |
| 21. | वित्त पोषण के साधन<br>क. इक्विटी (प्रमोटर/विदेशी/अनय)<br>ख. ऋण (सावधि/कार्यशील)<br>ग. अन्य स्त्रोतो से सहायता<br>घ. प्रस्तावित अनुदान की कुल राशि | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22. | वित्तीय बेंचमार्क<br>क. नगदी प्रवाह<br>ख. ब्रेक–ईवन पाइंट<br>ग. प्रतिफल की आन्तरिक दर<br>घ. ऋण – इक्विटी अनुपात<br>ड. ऋण सेवा कवरेज अनुपात | | |
| 23. | जिन गुणवत्ता/सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा उनका ब्यौरा | | |
| ड. विपणन | | | |
| 24. | विपणन<br>क. विद्यमान बाजार<br>ख. भावी मांग<br>ग. विपणन कार्यनीति<br>घ. खेत फारवर्ड/बेकवर्ड लिंकेज<br>ड. भावी बाजार लिंकेज | | |
| च. क्रियान्वयन अनुसूची | | | |
| 25. | कार्य का मद | क्रियान्वयन की तारीख<br>(आरेख चार्ट/माइल स्टोन चार्ट संलग्न) | |
| | | | |
| छ. कार्मिक | | | |
| 26. | तकनीकी और प्रबंधकीय कार्मिक का ब्यौरा (प्रचालन, अनुरक्षण, प्रबंधकीय, वित्त और विपणन आदि) अपेक्षित और उपलब्ध | | |
| ज. रोजगार सृजन – प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष | | | |
| 27. | क. प्रत्यक्ष (पुरूष और महिलाएं अलग–अलग)<br>ख. अप्रत्यक्ष (पुरूष और महिलाएं अलग–अलग) | | |

**तारीख :**

**स्थान :**

**हस्ताक्षर**

**नाम और पदनाम**

**संगठन की सील**

**संलग्नक : संलग्न दस्तावेजों की सूची**

परिशिष्ट 7

**छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत रीफर वाहन योजना का आवेदन–पत्र**

| क्र. सं. | विवरण | ब्यौरा |
|---|---|---|
| **क. प्रमोटर** | | |
| 1. | प्रमोटर का नाम और पता, टेलीफोन सं., फैक्स, ई–मेल आदि सहित | |
| 2. | संगठन का प्रकार | |
| 3. | आवेदक संगठन की पृष्ठभूमि/प्रत्ययपत्र खाद्य प्रसंस्करण अथवा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में अनुभव का ब्यौरा, यदि कोई हो। | |
| 4. | वित्तीय स्थिति | |
| 5. | विद्यमान उद्योग, यदि कोई हो। | |
| **ख. परियोजना विवरण** | | |
| 6. | परियोजना का नाम | |
| 7. | रीफर वाहन/मोबाइल प्री–कूलिंग वैनों की संख्या और क्षमता | |
| **ग. परियोजना लागत (प्रस्तावित लागत, आकलित लागत का अलग–अलग उल्लेख किया जाए)** | | |
| 8. | रीफर वाहन/ मोबाइल प्रशीतन–पूर्व वैनें(क्षमता/विनिर्देशन/लागत) | |
| 9. | प्रचालन–पूर्व खर्च | |
| 10. | कार्यशील पूंजी | |
| **घ. वित्त–पोषण के साधन (प्रस्तावित लागत और आकलित वित्तीय साधनों का अलग–अलग उल्लेख किया जाए)** | | |
| 1. | वित्त पोषण के साधन<br>क. प्रमोटर का अंशदान<br>ख. ऋण (सावधि/कार्यशील)<br>ग. अन्य स्त्रोतो से सहायता<br>घ. अनुदान की राशि | |
| **ड. क्रियान्वयनअनुसूची** | | |
| 12. | रीफर वैन/रीफर ट्रकों की खरीद की प्रत्याशित तारीख | |

**तारीख :**

**स्थान :**

**हस्ताक्षर**

**नाम और पदनाम**

**संगठन की सील**

**संलग्नक :** दस्तावेजों की सूची

परिशिष्ट 8

**SURETY BOND**
**(Executed on non-judicial stamp of Rs 100/- or more)**

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that we, M/s ___________________________, a ____________________(Type of organization) incorporated/registered under the __________________(Name of the Act) and having its registered office at __________________________ (hereinafter called the "Obligers") are held fully and firmly bound to the Governor of State____________ (hereinafter called the "Government") for the sum of Rs.__________________ (Rupees______ ___________________________ only) well and truly to be paid to the Government on demand and without a demur for which payment we firmly bind ourselves and our successors and assignees by these presents.

SIGNED on the _________________________ day of _______________________ in the year Two Thousand ________.

WHEREAS on the Obligers' request, the Government as per Sanction Order No.____________ Dated ________________ (hereinafter referred to as the "Letter of Sanction") which forms an integral part of these presents, and a copy whereof is annexed hereto and marked as **Annexure**-I, agreed to make in favour of the Obligers grantsin-aids-in-aid of Rs.________________(Rupees_______________________________only) for the purpose of__________________(description of the project) at ____________________________ out of which the sum of Rs.____________ (Rupees _____________________ only) have been paid to the Obligers (the receipt of which the Obligers do hereby admit and acknowledge) on condition of the Obligers executing a bond in the terms and manner contained hereinafter which the Obligers have agreed to do.

NOW the conditions of the above written obligation is such that if the Obligers duly fulfill and comply with all the conditions mentioned in the letter of sanction, the above written Bond or obligation shall be void and of no effect. But otherwise, it shall remain in full force and virtue. The Obligers will abide by the terms & conditions of the grants-in-aid by the target dates, if any specified therein.

THAT the Obligers shall not divert the grants-in-aids and entrust execution of the Scheme or work concerned to another institution(s) or organization(s).

THAT the Obligers shall abide by any other conditions specified in this agreement and in the event of their failing to comply with the conditions or committing breach of the bond, the Obligers individually and jointly will be liable to refund to the Governor of Chhattisgarh, the entire amount of the grants-in-aid with interest of 10% per annum thereon. If a part of the grants-inaid is left unspent after the expiry of the period within which it is required to be spent, interest @10% per annum shall be charged upto the date of its refund to the Government, unless it is agreed to be carried over.

The Obligers agree and undertake to surrender / pay the Government the monetary value of all such pecuniary or other benefits which it may receive or derive / have received or derived through / upon unauthorized use of (such as letting out the premises on adequate or less than adequate consideration or use of the premises for any purpose other than that for

which the grants-in-aid was intended of the property) buildings created / acquired constructed largely from out of the grants-in-aid sanctioned by the State Government of Chhattisgarh or the administrative Head of the Department concerned. As regards the monetary value aforementioned to be surrendered / paid to the Government, the decision of the Government will be final and binding on the Obligers.

AND THESE PRESENTS ALSO WITNESS THAT the decision of the Chhattisgarh State Food Processing Mission of ____________ on the question whether there has been breach or violation of any of the terms or conditions mentioned in the sanction letter shall be final and binding upon the Obligers and

IN WITNESS WHEREOF these presents have been executed as under on behalf of the Obligers the day herein above written in pursuance of the Resolution No.________________ Dated ______________ passed by the governing body of the Obligers, a copy whereof is annexed hereto as **Annexure-II** and by ______________________________________ for and on behalf of the Governor of State____________ on the date appearing below:-

______________________________________

Signature of the AUTHORISED SIGNATORY
Signed for and on behalf of
(Name of the Obliger in block letters)
(Seal / Stamp of Organization)

1. Signature of witness
   Name & Address
   ------------------------
   ------------------------
   --------------------------

2. Signature of witness
   Name & Address
   --------------------------
   --------------------------
   --------------------------

TO BE FILLED UP BY THE Directorate of Industries, Chhattisgarh
(ACCEPTED)

For and on behalf of the Governor of State of CHHATTISGARH
Name:______________________________ Designation: ________________________
Dated:______________________________

Notary Seal & Signature

**जमानत बांड**

(कम से कम 100/– रूपए के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित)

1 यह सब को ज्ञात हो कि हम, मेसर्स ............................................................एक .............................. ................ (संगठन का प्रकार) जो ...............................(अधिनियम का नाम) के अंतर्गत निगमित/पंजीकृत है और इसका पंजीकृत कार्यालय ................... (जिसे इसमें आगे आबद्धकर्ता कहा गया है) में है। छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल को (जिन्हे इसमें आगे 'सरकार' कहा गया है) ..........................रूपए (.................रूपए मात्र) की मांग बिना किसी विलम्ब के, सरकार को संदाय करने के लिए आबद्ध है इस राशि का संदाय करने के लिए हम स्वयं को, अपने वारिसों और समनुदेशितों को आबद्ध करते हैं।

2 अतः आबद्धकर्ता के अनुरोध पर, दिनांक ..........के स्वीकृति आदेश ............... (इसके पश्चात् इसे "मंजूरी पत्र" कहा जाएगा), जो इन विलेखों का अभिन्न अंग है, तथा जिसकी एक प्रति इसके साथ संलग्न है और संलग्नक - I के रूप में अंकित की गई है के अनुसार सरकार ................में ......................... के प्रयोजन से (परियोजना का विवरण) ....................रूपए (....................रूपए मात्र) की अनुदान सहायता आबद्धकर्ता के पक्ष में देने के लिए सहमत हुई है जिसमें से ......................रूपए (....................रूपए मात्र) की राशि, इसमें आगे दी गई शर्तो एवं पद्धति पर आबद्धकर्ता के बंध पत्र के निष्पादन की शर्त पर, जिसके लिए आबद्धकर्ता सहमत हुआ है आबद्धकर्ता (जिसे आबद्धकर्ता ने स्वीकार किया है और पावती दी है) को अदा की गई है।

3 अतः ऊपर लिखित दायित्व की शर्ते ऐसी हैं कि यदि आबद्धकर्ता, मंजूरी पत्र में उल्लेखित सभी शर्तो को विधिवत पूरा करके अनुपालन करेगा तो उल्लेखित बंधक पत्र निष्प्रभावी हो जाएगा। परन्तु अन्यथा, यह पूर्ण रूप में प्रवृत रहेगा। आबद्धकर्ता उसमें लक्षित तारीखों तक, यदि कोई विनिर्दिष्ट की गई हों, अनुदान–सहायता के निबंधन और शर्तो का पालन करेगा।

4 कि आबद्धकर्ता अनुदान–सहायता किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं करेगा तथा संबंधित योजना अथवा कार्य का निष्पादन किसी अन्य संस्थान (नों) अथवा संगठन (नों) को नहीं सौपेंगा।

5 यह कि आबद्धकर्ता इस करार में विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य शर्तो का पालन करेगा और शर्तो का पालन करने में विफल रहने पर अथवा बांड का उल्लंघन करने पर आबद्धकर्ता व्यक्तिगत तथा संयुक्त रूप से अनुदान–सहायता की पूरी राशि, उस पर 10% प्रति वर्ष ब्याज सहित के राज्यपाल को वापस लौटाने के लिए जिम्मेदार होगा। यदि अनुदान–सहायता का कोई हिस्सा उस अवधि के समाप्त होने के बाद जिसमें उसे खर्च किया जाना अपेक्षित था, अव्ययित रह जाता है तो सरकार को उसकी वापसी की तारीख तक 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज वसूल किया जाएगा जब तक कि उसे अन्यथा आगे ले जाने की सहमति न दी गई हो।

6 आबद्धकर्ता, ऐसे सभी आर्थिक अथवा अन्य लाभ की राशि, जो वह .................की राज्य सरकार अथवा संबंधित विभाग के प्रशासनिक प्रधान द्वारा स्वीकृत की गई अनुदान–सहायता से निर्मित/अर्जित इमारतों के अनधिकृत उपयोग पर (जैसे पर्याप्त अथवा पर्याप्त से कम पर मूल्य पर परिसर को किराए पर देना या उसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करना जिस उद्देश्य से संपत्ति के लिए अनुदान–सहायता दी गई थी)/के माध्यम से प्राप्त करे या अर्जित करे/प्राप्त की हो सरकार को अभ्यर्पित/अदा करने के लिए सहमत है और वचन देता है। जहां तक पूर्वोत्तर राशि का सरकार को

अभ्यर्पित/अदा किए जाने का संबंध है, इस संबंध में सरकार का निर्णय अंतिम और आबद्धकर्ताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

7 इन विलेखों में यह भी साक्ष्य है कि .................. की राज्य सरकार के सचिव का इस संबंध में निर्णय कि क्या मंजूरी पत्र में उल्लिखित किन्ही निबंधनों अथवा शर्तो का उलंघन किया गया है अंतिम होगा और आबद्धकर्ताओं के लिए बाध्यकारी होगा तथा इसके साक्ष्य में ये विलेख आबद्धकर्ताओं के शासकीय निकाय द्वारा पारित दिनांक ............. के संकल्प संख्या ........... के अनुसरण में इसमें उल्लेखित दिवस को आबद्धकर्ताओं की ओर से निम्नानुसार निष्पादित किए गए हैं, जिसकी एक प्रति इसके साथ संलग्नक - II के रूप में नत्थी है, तथा नीचे दी गई तारीख को ...............राज्य के राज्यपाल के नाम में और उनकी ओर से हस्ताक्षरित है :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
(आबद्धकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में)
इकाई के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षरित
(इकाई की मोहर)

1. गवाह के हस्ताक्षर
नाम और पता
.........................................................
.........................................................

2. गवाह के हस्ताक्षर
नाम और पता
.........................................................
.........................................................

उद्योग संचालनालय द्वारा भरा जाएगा
(स्वीकृत)
छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल के नाम से और उनकी ओर से

नाम ......................................
पदनाम ..................................
तारीख ..................................

नोटरी की मोहर और हस्ताक्षर

टीप : जमानत बांड हिन्दी में भी दिया जा सकता है किन्तु विवाद की स्थिति में इंग्लिश प्रारूप ही मान्य (Prevail over) किया जायेगा।

परिशिष्ट 9

100/– रूपए के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर
शपथ–पत्र
(जीएफ़आर–209(1) के अनुसार)

मैं .................................. पुत्र श्री ................................ निवासी ...................................... मेसर्स ................ .............................. का डायरेक्टर/मालिक एतद द्वारा शपथपूर्वक अभिपुष्टि करता हूं और निम्न प्रकार बयान करता हूं :

(क) कि इकाई की सहयोगी–संस्था/अंतर–संबंधित कंपनी/समूह कंपनी और स्वयं आवेदक कंपनी ने खाद्य प्रसंस्करण परियोजना के लिए विगत में उक्त योजना से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त की है अथवा नहीं की है।

(ख) कि इकाई ने इसी प्रयोजन/कार्यकलाप/इन्हीं घटकों के लिए केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग/भारत सरकार संगठन/एजेन्सियों से और राज्य सरकार से कोई अनुदान/सब्सिडी प्राप्त नहीं की है अथवा नहीं की है, न ही इसके लिए आवेदन किया है तथा उक्त अनुदान /सब्सिडी प्राप्त नहीं करेगा।

(ग) अनुदान प्राप्त करने हेतु विभाग को प्रस्तुत किए गए सभी कागजात, दस्तावेज सत्य और सही है और उनमें कुछ भी छिपाया नहीं गया।

**अभिसाक्षी**

## सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि इस शपथ पत्र की अन्तर्वस्तु मेरी अधिकरण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इस शपथ पत्र का कोई भाग इसमें छिपाया नहीं गया है, यदि बाद में, इस शपथ पत्र में कुछ भी असत्य पाया जाएगा तो अभिसाक्षी और संगठन, नियमों के अन्तर्गत कार्यवाई के लिए संयुक्त रूप से और अलग–अलग जिम्मेदार होगा, इसलिए .......................... .......................... (स्थान) पर ......................................(तारीख) को सत्यापित किया गया।

**बयानकर्ता**

नोटरी की सील और हस्ताक्षर

**परिशिष्ट 10**

(सीए के लैटर हैड पर)

**सीए प्रमाणपत्र**

(सीए की सदस्यता संख्या के सहित)

(I) परियोजना लागत

**(लाख रूपए में)**

| क्र. सं. | घटक/मद का नाम | परियोजना लागत | बैंक द्वारा यथा आकलित लागत | वास्तविक लागत |
|---|---|---|---|---|
| 1. | भूमि | | | |
| 2. | इमारत/सिविल कार्य | | | |
| 3. | संयंत्र और मशीनरी | | | |
| 4. | विविध अचल परिसंपत्तियां | | | |
| 5. | अन्य | | | |
| | कुल योग | | | |

(II) वित्त के साधन

(लाख रूपए में)

| क्र. सं. | मद | परियोजना लागत | बैंक द्वारा यथा आकलित लागत | वास्तविक लागत |
|---|---|---|---|---|
| 1. | प्रमोटर की इक्विटी | | | |
| 2. | सावधि ऋण | | | |
| 3. | असुरक्षित ऋण | | | |
| 4. | अनुदान | | | |
| 5. | अन्य | | | |
| | कुल योग | | | |

सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित असुरक्षित ऋणों यदि कोई हो, का ब्यौरा,

**सीए के हस्ताक्षर और सील**

परिशिष्ट 11

(सीए के लैटर हैड पर)
जी एफ आर 19 – क के अनुसार प्रोफार्मा
[ देखें जी एफ नियम 212(1) ]

| क्र.सं. | पत्र संख्या और तारीख | राशि |
|---|---|---|
| | | |

1 प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त में दिए गए पत्र संख्या .................................. के अन्तर्गत .................. के पक्ष में वर्ष ...................... के दौरान मंजूर .................... रूपए की अनुदान–सहायता और पिछले वर्षो के अव्ययित शेष ..............................रूपए की राशि में से ......................... रूपए की राशि का उपयोग ...................... के प्रयोजनार्थ ............................किया गया है जिसके लिए इसे मंजूर किया गया था, कि वर्ष .................... के अन्त में, अव्ययित शेष रहती ................. रूपए की राशि सरकार को (सं. ...............................दि................................. को) अभ्यर्पित कर दी गई है/को अगले वर्ष ....................... के दौरान दिये अनुदान – सहायता के साथ समायोजित किया जाएगा।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मैं उन शर्तो से संतुष्ट हूँ जिनके आधार पर अनुदान–सहायतामंजूर किया गया था, उन्हें पूरा किया गया है/पूरी की जा रही है और यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैंने यह देखने के लिए कि धन का उपयोग वास्तविक रूप से उसी प्रयोजन के लिए किया गया है, सिके लिए उसे मंजूर किया गया था की जाँच करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों का इस्तेमाल किया गया है।

जाँच के लिए इस्तेमाल किए गए मानदंडों के प्रकार

1.

2.

3.

हस्ताक्षर (सीए)....................................
पदनाम ..................................................
तारीख ..................................................

कंपनी के प्रमोटर के प्रति
हस्ताक्षर, सील के साथ

## राजस्व विभाग

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 23 जनवरी 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 19/अ-82/वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-पाराघाट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-43.51 एकड़

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (एकड़ में) (2) |
|---|---|
| 169/1 | 0.67 |
| 285/1 | 0.35 |
| 169/2 | 2.13 |
| 264 | 0.26 |
| 270/1 | 0.03 |
| 265 | 0.28 |
| 266 | 1.02 |
| 262/1 | 0.65 |
| 262/2 | 0.66 |
| 235 | 0.24 |
| 236 | 1.33 |
| 242/2 | 0.42 |
| 242/3 | 0.10 |
| 243 | 0.25 |
| 238 | 0.60 |
| 234 | 1.41 |
| 251/1 | 1.00 |
| 239 | 0.63 |
| 169/3 | 0.49 |
| 168/1 | 2.00 |
| 168/3 | 0.62 |
| 168/7 | 0.20 |
| 168/4 | 0.58 |
| 240/1 | 0.07 |
| 285/4 | 0.37 |
| 240/3 | 0.06 |
| 240/4 | 0.05 |
| 240/5 | 0.05 |
| 240/6 | 0.22 |
| 240/2 | 0.06 |
| 261 | 0.70 |
| 240/7 | 0.21 |
| 240/8 | 0.14 |
| 241 | 0.44 |
| 242/1 | 0.19 |
| 250 | 0.10 |
| 242/4 | 0.12 |
| 263 | 0.38 |
| 267/1 | 0.07 |
| 270/2 | 0.03 |
| 267/2 | 0.10 |
| 267/3 | 0.10 |
| 269 | 0.06 |
| 260 | 1.29 |
| 281 | 0.39 |
| 277/2 | 0.05 |
| 258/2 | 0.31 |
| 258/1 | 0.16 |
| 282/1 | 0.25 |
| 282/2 | 0.38 |
| 277/1 | 0.03 |
| 283/1 | 0.11 |
| 283/2 | 0.20 |
| 284/1 | 0.16 |
| 284/3 | 0.22 |
| 284/2 | 0.45 |
| 285/3 | 0.12 |
| 285/2 | 0.21 |
| 287 | 0.50 |
| 288/1 | 0.08 |
| 289/1 | 0.40 |
| 296/5 | 0.70 |
| 289/2 | 0.25 |
| 296/2 | 0.23 |
| 297/1 | 0.33 |
| 295/1 | 0.37 |
| 295/3 | 0.17 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 295/4 | 0.25 |
| 295/5 | 0.05 |
| 355/3 | 0.35 |
| 355/4 | 0.25 |
| 635/1 | 0.13 |
| 636/1 | 0.36 |
| 635/2 | 0.17 |
| 636/2 | 0.08 |
| 634/1क | 0.30 |
| 634/1ख | 0.25 |
| 634/4 | 0.40 |
| 633 | 0.27 |
| 639/3 | 0.32 |
| 639/4 | 0.30 |
| 632/4 | 0.18 |
| 631/4 | 0.22 |
| 631/5 | 0.24 |
| 631/6 | 0.40 |
| 629 | 0.12 |
| 628/1 | 0.20 |
| 628/4 | 0.44 |
| 628/2 | 0.16 |
| 626/1 | 0.28 |
| 626/2 | 0.17 |
| 625/2 | 0.17 |
| 609/2 | 0.10 |
| 625/1 | 0.05 |
| 700/1 | 0.95 |
| 700/2 | 0.06 |
| 705/2 | 0.40 |
| 705/3 | 0.40 |
| 705/5 | 0.25 |
| 705/6 | 0.40 |
| 706/3 | 0.80 |
| 706/4 | 0.31 |
| 706/5 | 0.31 |
| 706/8 | 0.30 |
| 740/12 | 0.83 |
| 740/19 | 1.00 |
| 740/1 | 0.80 |
| 742/1 | 0.18 |
| 742/8 | 0.22 |
| 742/6 | 0.19 |
| 742/3 | 0.19 |
| 742/5 | 0.19 |
| 741/2 | 0.13 |
| 743/1 | 0.24 |
| 741/4 | 0.09 |
| 742/2 | 0.13 |
| 744/1 | 0.48 |
| 745/1 | 0.35 |
| 745/2 | 0.42 |
| 745/3 | 0.18 |
| 747/2 | 0.70 |
| योग | 43.51 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पाराघाट फीडर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत शीर्ष एवं मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मस्तुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 2/अ-82/2016.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-पिरैया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.37 एकड़

| खसरा नम्बर | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 415 | 0.17 |
| 393/1 | 0.10 |
| 393/3 | 0.05 |

| | (1) | (2) |
|---|---|---|
| | 393/2 | 0.05 |
| योग | 4 | 0.37 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पिरैया शिवघाट स्टापडेम योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2016

क्रमांक 07/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-मोहभट्ठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.462 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 6/1 | 0.109 |
| | 6/2 | 0.162 |
| | 6/3 | 0.121 |
| | 34/1 | 0.081 |
| | 34/2 | 0.146 |
| | 33/1 | 0.134 |
| | 33/2 | 0.028 |
| | 37/1 | 0.526 |
| | 37/2 | 0.061 |
| | 37/3 | 0.020 |
| | 32/2 | 0.008 |
| | 39/1 | 0.101 |
| | 38/3 | 0.008 |
| | 56/1 | 0.542 |
| | 94/1 | 0.413 |
| | 56/3 | 0.291 |
| | 94/3 | 0.413 |
| | 68/4 | 0.170 |
| | 68/5 | 0.210 |
| | 55 | 0.340 |
| | 54 | 0.138 |
| | 67 | 0.008 |
| | 68/7 | 0.316 |
| | 66 | 0.332 |
| | 95/5 | 0.304 |
| | 95/6 | 0.291 |
| | 96/2 | 0.061 |
| | 96/5 | 0.275 |
| | 316/2 | 0.271 |
| | 95/7 | 0.235 |
| | 96/1 | 0.101 |
| | 96/3 | 0.049 |
| | 96/4 | 0.065 |
| | 97 | 0.008 |
| | 98/2 | 0.243 |
| | 317 | 0.162 |
| | 318 | 0.121 |
| | 68/2 | 0.138 |
| | 68/3 | 0.138 |
| | 68/6 | 0.291 |
| | 94/2 | 0.462 |
| | 39/1 | 0.109 |
| | 83 | 0.024 |
| | 108 | 0.032 |
| | 7/2 | 0.085 |
| | 7/3 | 0.089 |
| | 39/4 | 0.101 |
| | 39/2 | 0.008 |
| | 614 | 0.101 |
| | 615 | 0.020 |
| योग | 50 | 8.462 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2016

क्रमांक 15/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-बिल्हा

(ग) नगर/ग्राम-उटगन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.326 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
| --- | --- |
| (1) | (2) |
| 1269 | 0.121 |
| 1268/1 | 0.008 |
| 1256 | 0.162 |
| 1268/2 | 0.049 |
| 1233/1, 1244/2 | 0.065 |
| 1266 | 0.089 |
| 1258 | 0.053 |
| 1176/2 | 0.077 |
| 1254/3 | 0.049 |
| 263 | 0.109 |
| 763/1, 763/2 | 0.227 |
| 166/1 | 0.004 |
| 166/2 | 0.121 |
| 166/3 | 0.061 |
| 779 | 0.061 |
| 128/1, 143/2, 144/2 | 0.085 |
| 187 | 0.101 |
| 390 | 0.081 |
| 381 | 0.040 |
| 212 | 0.008 |
| 1257 | 0.012 |
| 780 | 0.008 |
| 1259 | 0.049 |
| 1254/4 | 0.101 |
| 816/1 | 0.040 |
| 203 | 0.081 |
| (1) | (2) |
| 238 | 0.004 |
| 186 | 0.073 |
| 1253 | 0.020 |
| 797 | 0.008 |
| 1246 | 0.081 |
| 286 | 0.057 |
| 1245 | 0.020 |
| 1244/1 | 0.081 |
| 1231, 1232/2 | 0.045 |
| 1230 | 0.004 |
| 239 | 0.077 |
| 1214 | 0.049 |
| 1219 | 0.040 |
| 1174/1 | 0.101 |
| 1220 | 0.040 |
| 1174/2 | 0.101 |
| 1175/1 | 0.016 |
| 1143 | 0.032 |
| 1144/1 | 0.040 |
| 1144/2 | 0.020 |
| 1137 | 0.061 |
| 1141/1 | 0.008 |
| 1140/1, 1141/2 | 0.020 |
| 1138/1 | 0.024 |
| 1138/2 | 0.020 |
| 1138/3 | 0.032 |
| 1138/4 | 0.024 |
| 1129 | 0.040 |
| 1125 | 0.032 |
| 1126 | 0.032 |
| 1133 | 0.065 |
| 1123 | 0.049 |
| 1132 | 0.032 |
| 1130 | 0.032 |
| 287 | 0.065 |
| 215 | 0.004 |
| 1149/2 | 0.012 |
| 1149/3 | 0.012 |
| 1149/4 | 0.012 |
| 1149/5 | 0.012 |
| 1149/1 | 0.020 |
| 1149/6 | 0.012 |
| 1149/7 | 0.012 |
| 1149/8 | 0.008 |
| 387/1 | 0.105 |
| 387/2 | 0.012 |
| 388 | 0.101 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 389 | 0.040 |
| 385 | 0.020 |
| 384 | 0.020 |
| 383/2 | 0.028 |
| 383/1 | 0.170 |
| 324/1 | 0.081 |
| 335/1 | 0.146 |
| 382 | 0.170 |
| 337 | 0.081 |
| 339 | 0.178 |
| 341 | 0.016 |
| 322, 323 | 0.081 |
| 319 | 0.053 |
| 311/2 | 0.061 |
| 314/1 | 0.137 |
| 315/1 | 0.012 |
| 317/1 | 0.016 |
| 56/3 | 0.113 |
| 314/2 | 0.170 |
| 312 | 0.057 |
| 274 | 0.093 |
| 313 | 0.020 |
| 289 | 0.176 |
| 276 | 0.121 |
| 256/2 | 0.121 |
| 275 | 0.081 |
| 267 | 0.049 |
| 266 | 0.008 |
| 796 | 0.129 |
| 257 | 0.097 |
| 258/1 | 0.073 |
| 258/2 | 0.073 |
| 241/2 | 0.008 |
| 219 | 0.024 |
| 213 | 0.049 |
| 265 | 0.036 |
| 261 | 0.040 |
| 262 | 0.081 |
| 202/1 | 0.138 |
| 202/2 | 0.190 |
| 204 | 0.061 |
| 199 | 0.162 |
| 760/3 | 0.020 |
| 200 | 0.032 |
| 201 | 0.061 |
| 760/1 | 0.061 |
| 760/2 | 0.040 |
| 760/4 | 0.113 |
| 759/1 | 0.036 |
| 759/2 | 0.004 |
| 760/3 | 0.020 |
| 759/3 | 0.012 |
| 761 | 0.109 |
| 762 | 0.081 |
| 792/1, 2 | 0.101 |
| 793 | 0.097 |
| 795 | 0.081 |
| 292/1 | 0.020 |
| 290 | 0.053 |
| 800 | 0.146 |
| 801 | 0.142 |
| 818 | 0.125 |
| 819 | 0.073 |
| 822 | 0.020 |
| 291 | 0.142 |
| 240 | 0.109 |
| 220 | 0.016 |
| 216 | 0.028 |
| 217 | 0.012 |
| 264 | 0.004 |
| 197 | 0.020 |
| 183 | 0.040 |
| 184 | 0.008 |
| 181 | 0.008 |
| 180 | 0.040 |
| 179 | 0.024 |
| 137/2, 140/2, 141/1 | 0.004 |
| 140/1 | 0.073 |
| 141/3 | 0.020 |
| 142/1, 146/2 | 0.020 |
| 143/1, 145/2 | 0.036 |
| 126, 127/2 | 0.040 |
| 338 | 0.065 |
| 256/1 | 0.061 |
| योग 157 | 9.326 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अन्बलगन पी,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 मार्च 2016

क्रमांक 113/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-नवापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-51.397 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 274 | 0.040 |
| 275 | 0.138 |
| 276/1 | 0.012 |
| 276/2 | 0.061 |
| 276/3 | 0.020 |
| 277/1 | 0.036 |
| 277/2 | 0.036 |
| 315/2, 315/3 | 0.040 |
| 315/4 | 0.020 |
| 317/1 | 0.049 |
| 317/2 | 0.097 |
| 317/3 | 0.049 |
| 318/1 | 0.049 |
| 318/2 | 0.049 |
| 318/3 | 0.049 |
| 319 | 0.150 |
| 320 | 0.138 |
| 321 | 0.085 |
| 370 | 0.275 |
| 371 | 0.218 |
| 372/2 | 0.101 |
| 372/3 | 0.320 |
| 372/4 | 0.239 |
| 372/5 | 0.105 |
| 372/6 | 0.089 |
| 372/7 | 0.320 |
| 372/8 | 0.239 |
| 372/9 | 0.036 |
| 372/10 | 0.109 |
| 372/11 | 0.125 |
| 372/12 | 0.008 |
| 372/13 | 0.320 |
| 372/14 | 0.210 |
| 372/15 | 0.320 |
| 375/1 | 0.274 |
| 375/2 | 0.089 |
| 376 | 0.061 |
| 323/1 | 0.028 |
| 323/2 | 0.016 |
| 323/3 | 0.016 |
| 324 | 0.057 |
| 325/1 | 0.024 |
| 325/2 | 0.024 |
| 326 | 0.057 |
| 328 | 0.040 |
| 329, 430 | 0.206 |
| 330/1 | 0.040 |
| 330/2 | 0.040 |
| 330/3 | 0.040 |
| 330/4 | 0.040 |
| 330/5 | 0.040 |
| 334/1 | 0.024 |
| 334/2 | 0.024 |
| 334/3 | 0.024 |
| 334/4 | 0.028 |
| 334/5 | 0.024 |
| 337 | 0.065 |
| 338/1 | 0.020 |
| 338/2 | 0.020 |
| 343/1, 344/1, 345/1, 346/1 | 0.008 |
| 343/2, 344/2, 345/2, 346/2 | 0.012 |
| 343/3, 344/3, 345/3, 346/3 | 0.016 |
| 347/1, 348/1, 349/1, 350/1 | 0.016 |
| 347/2 | 0.016 |
| 383/2 | 0.049 |
| 383/3 | 0.016 |
| 383/4 | 0.016 |
| 383/5 | 0.016 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 384/1 | 0.065 | 358/5 | 0.020 |
| 384/2 | 0.097 | 358/6 | 0.020 |
| 384/3 | 0.032 | 358/7 | 0.040 |
| 385/1 | 0.202 | 358/8 | 0.020 |
| 385/2 | 0.202 | 359/1 | 0.494 |
| 386 | 1.170 | 359/2 | 0.243 |
| 387/1 | 0.109 | 359/3 | 0.073 |
| 387/2 | 0.113 | 359/4 | 0.162 |
| 388 | 1.465 | 359/5 | 0.101 |
| 389/1 | 0.150 | 359/6 क | 0.024 |
| 389/2 | 0.089 | 359/6 ख | 0.008 |
| 389/3 | 0.089 | 359/6 ग | 0.020 |
| 389/4 | 0.089 | 359/6 घ | 0.020 |
| 389/5 | 0.036 | 359/6 ङ | 0.045 |
| 390/1 | 0.134 | 359/6 च | 0.045 |
| 390/2 | 0.134 | 359/6 छ | 0.020 |
| 391/1 | 0.178 | 359/7, 410/3 छ | 0.085 |
| 391/2 | 0.089 | 359/8 | 0.081 |
| 392/1 | 0.332 | 359/9 | 0.016 |
| 392/2 | 0.332 | 359/10, 410/3 झ | 0.121 |
| 392/3 | 0.113 | 359/11 | 0.049 |
| 392/4 | 0.109 | 359/12 क | 0.040 |
| 392/5 | 0.109 | 359/12 ख | 0.040 |
| 393/1 | 0.469 | 359/12 ग | 0.040 |
| 393/2 | 0.405 | 359/12 घ | 0.040 |
| 394/1 | 0.206 | 395/5 | 0.089 |
| 394/2 | 0.105 | 397/1 | 0.332 |
| 394/3 | 0.053 | 397/2 | 0.332 |
| 394/4 | 0.053 | 397/3 | 0.109 |
| 394/5 | 0.053 | 397/4 | 0.113 |
| 394/6 | 0.053 | 397/5 | 0.109 |
| 394/7 | 0.101 | 398 | 0.890 |
| 395/1 | 0.275 | 399/1 | 0.085 |
| 395/2 | 0.271 | 399/2 | 0.089 |
| 395/3 | 0.093 | 400/1 | 0.040 |
| 395/4 | 0.089 | 400/2 | 0.024 |
| 347/3 | 0.016 | 400/3 | 0.024 |
| 352/1 | 0.024 | 400/4 | 0.024 |
| 352/2 | 0.024 | 400/5 | 0.008 |
| 352/3 | 0.024 | 401/1 | 0.105 |
| 353/1, 354/1 | 0.146 | 401/2 | 0.024 |
| 353/2 | 0.020 | 401/3 | 0.028 |
| 353/3 | 0.020 | 401/4 | 0.053 |
| 357/4 | 0.036 | 402 | 0.158 |
| 358/1 | 0.045 | 403/1 | 0.004 |
| 358/2 | 0.024 | 403/2 | 0.032 |
| 358/3 | 0.069 | 403/3 | 0.036 |
| 358/4 | 0.032 | | |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 403/4 | 0.020 |
| 403/5 | 0.004 |
| 403/6 | 0.004 |
| 403/7 | 0.004 |
| 404 | 0.032 |
| 405 | 1.109 |
| 406 | 1.068 |
| 407/1 | 2.456 |
| 407/2 | 2.428 |
| 408 | 0.931 |
| 409/1 | 0.809 |
| 409/2 | 0.688 |
| 409/3 | 2.663 |
| 409/4 | 2.663 |
| 409/5 | 1.858 |
| 409/6 | 1.331 |
| 409/7 | 0.648 |
| 410/2 | 6.799 |
| 359/12 ङ | 0.040 |
| 360/1 | 0.352 |
| 360/2 | 0.352 |
| 361/1 | 0.158 |
| 361/2 | 0.146 |
| 361/3 | 0.178 |
| 361/4 | 0.178 |
| 365/1 | 0.340 |
| 365/2 | 0.405 |
| 366 | 0.607 |
| 367/1 | 0.344 |
| 367/2 | 0.344 |
| 368/1 | 0.182 |
| 368/2 | 0.040 |
| 368/3 | 0.243 |
| 368/4 | 0.121 |
| 368/5 | 0.061 |
| 368/6 | 0.012 |
| 368/7 | 0.040 |
| 368/8 | 0.016 |
| 368/9 | 0.012 |
| 369 | 0.907 |
| 410/3 ग | 0.097 |
| 410/3 च | 0.036 |
| 410/3 ज | 0.032 |
| 410/3 झ | 0.097 |
| 410/3 ट | 0.028 |
| 410/3 ठ | 0.028 |
| 410/4 क, 410/4 ख | 0.170 |
| 410/4 ग | 0.202 |
| 410/4 च | 0.028 |
| 410/4 छ | 0.032 |
| 410/4 ज | 0.032 |
| 410/4 झ | 0.028 |
| 410/4 य | 0.032 |
| 410/4 र | 0.032 |
| 410/4 ठ | 0.028 |
| 410/4 ड | 0.032 |
| 410/4 ढ | 0.032 |
| 410/4 ण | 0.053 |
| 426/1 | 0.012 |
| 426/2 | 0.012 |
| योग 229 | 51.397 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साराडीह बैराज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 मार्च 2016

क्रमांक 115/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-सकराली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-26.200 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 838/1 | 0.036 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 838/2 | 0.040 | 931/2 | 0.053 |
| 839 | 0.146 | 932/1 | 0.065 |
| 840 | 0.202 | 932/2 | 0.125 |
| 912/1 | 0.571 | 932/3 | 0.061 |
| 912/2 | 0.490 | 933/1 | 0.162 |
| 913/1 | 0.134 | 933/2 | 0.162 |
| 913/2 | 0.324 | 934/1 | 0.138 |
| 913/3 | 0.247 | 934/2 | 0.138 |
| 915 | 0.150 | 951 | 0.170 |
| 916 | 0.040 | 952 | 0.983 |
| 917 | 0.045 | 955/1 | 0.109 |
| 918 | 0.146 | 955/2 | 0.121 |
| 919/1 | 0.069 | 955/3 | 0.109 |
| 919/2 | 0.069 | 955/4 | 0.121 |
| 919/3 | 0.032 | 957/1 | 0.324 |
| 919/4 | 0.036 | 957/2 | 0.162 |
| 920 | 0.473 | 1001/5 | 0.040 |
| 928 | 0.049 | 1095/1 | 0.057 |
| 929/1 | 0.053 | 1095/2 | 0.069 |
| 929/2 | 0.166 | 1095/3 | 0.073 |
| 929/3 | 0.032 | 1095/4 | 0.069 |
| 1870 | 0.190 | 1095/5 | 0.053 |
| 1871 | 0.198 | 1096 | 0.065 |
| 1872/1 | 0.081 | 1097 | 0.065 |
| 1872/2 | 0.085 | 1098 | 0.065 |
| 1872/3 | 0.085 | 1099 | 0.036 |
| 1873 | 0.206 | 1100 | 0.745 |
| 1874 | 0.040 | 1428/1 | 0.174 |
| 1876 | 0.081 | 1428/2 | 0.384 |
| 1884 | 0.210 | 1428/3 | 0.081 |
| 1885 | 0.275 | 1428/4 | 0.283 |
| 1886 | 0.113 | 1428/5 | 0.138 |
| 1887/1 | 0.020 | 1428/6 | 0.206 |
| 1887/2 | 0.020 | 1428/7 | 0.324 |
| 1887/3 | 0.024 | 1892/1 | 0.008 |
| 1887/4 | 0.065 | 1892/2 | 0.073 |
| 1887/5 | 0.065 | 1893 | 0.129 |
| 1888 | 0.409 | 1895 | 0.073 |
| 1889/1 | 0.081 | 1896 | 0.368 |
| 1889/2 | 0.077 | 1897/1 | 0.073 |
| 1889/3 | 0.077 | 1897/2 | 0.073 |
| 1890 | 0.376 | 1898 | 0.121 |
| 1891 | 0.316 | 1899 | 0.117 |
| 929/4 | 0.105 | 1900 | 0.105 |
| 930/1 | 0.142 | 1901 | 0.117 |
| 930/2 | 0.028 | 1902 | 0.129 |
| 931/1 | 0.053 | 1903/1 | 0.089 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 1903/2 | 0.085 |
| 1905 | 0.259 |
| 1906 | 0.121 |
| 1907 | 0.077 |
| 1908 | 0.036 |
| 1909 | 0.053 |
| 1910/1 | 0.036 |
| 1910/2 | 0.036 |
| 1913 | 0.040 |
| 1914 | 0.089 |
| 1915 | 0.061 |
| 1916 | 0.134 |
| 1917 | 0.182 |
| 1918 | 0.166 |
| 1919 | 0.121 |
| 2069 | 0.227 |
| 2075/2 | 0.004 |
| 2101 | 0.081 |
| 2102 | 0.077 |
| 2106 | 0.081 |
| 2107 | 0.081 |
| 2108 | 0.214 |
| 2117/3 | 0.101 |
| 2118/1 | 0.081 |
| 2118/2 | 0.243 |
| 1428/8 | 0.263 |
| 1428/9 | 0.174 |
| 1428/10 | 0.251 |
| 1434 | 0.166 |
| 1435 | 0.113 |
| 1698/1 | 0.834 |
| 1698/2 | 0.830 |
| 1698/3 | 0.830 |
| 1698/6 | 0.830 |
| 1698/7 | 0.012 |
| 1698/8 | 0.405 |
| 1737 | 1.214 |
| 1863/2 | 0.036 |
| 1863/3 | 0.040 |
| 1863/4 | 0.040 |
| 1863/5 | 0.020 |
| 1866 | 0.085 |
| 1867/1 | 0.020 |
| 1867/2 | 0.016 |
| 1868/1 | 0.020 |
| 1868/2 | 0.020 |
| 1868/3 | 0.024 |
| 1868/4 | 0.024 |
| 1869 | 0.045 |
| 2118/4 | 0.243 |
| 2118/5 | 0.243 |
| 2118/6 | 0.202 |
| 2123/1 | 0.065 |
| 2123/2 | 0.065 |
| 2124/1 | 0.012 |
| 2124/2 | 0.008 |
| 2125 | 0.210 |
| 2126 | 0.202 |
| 2127/1 | 0.061 |
| 2127/2 | 0.061 |
| 2128 | 0.097 |
| 2129/1 | 0.020 |
| 2129/2 | 0.028 |
| 2130/1 | 0.053 |
| 2130/3 | 0.049 |
| 2131/1 | 0.364 |
| 2131/2 | 0.040 |
| 2131/3 | 0.016 |
| 2131/4 | 0.016 |
| 2131/5 | 0.506 |
| 2132/1 | 0.053 |
| 2132/2 | 0.053 |
| 2133/3 | 0.158 |
| योग 168 | 26.200 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साराडीह बैराज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक/5580/24/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-बरेकेल कला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.263 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 708/1 | 0.267 |
| 708/2 | 0.267 |
| 709/1 | 0.012 |
| 709/2 | 0.008 |
| 709/3 | 0.012 |
| 709/4 | 0.012 |
| 710/1 | 0.008 |
| 710/2 | 0.012 |
| 710/3 | 0.008 |
| 711/1 | 0.004 |
| 711/2 | 0.012 |
| 711/3 | 0.004 |
| 713/1 | 0.012 |
| 713/2 | 0.016 |
| 713/3 | 0.008 |
| 714/1 | 0.012 |
| 714/2 | 0.024 |
| 714/3 | 0.012 |
| 715 | 0.024 |
| 716 | 0.028 |
| 717/1 | 0.032 |
| 717/2 | 0.036 |
| 717/3 | 0.036 |
| 718/1 | 0.016 |
| 718/2 | 0.028 |
| 718/3 | 0.012 |
| 719/1 | 0.008 |
| 719/2 | 0.020 |
| 719/3 | 0.012 |
| 721/2 | 0.036 |
| 721/3 | 0.036 |
| 772/2 | 0.004 |
| 773/5 | 0.020 |
| 774 | 0.012 |
| 721/4 | 0.036 |
| 721/5 | 0.036 |
| 722 | 0.024 |
| 723/1 | 0.016 |
| 723/2 | 0.036 |
| 723/3 | 0.020 |
| 724/1 | 0.016 |
| 724/2 | 0.024 |
| 724/3 | 0.016 |
| 743/4 | 0.081 |
| 743/5 | 0.020 |
| 743/6 | 0.040 |
| 743/7 | 0.049 |
| 743/8 | 0.053 |
| 743/9 | 0.053 |
| 743/10 | 0.061 |
| 743/11 | 0.032 |
| 743/12 | 0.036 |
| 743/13 | 0.032 |
| 743/14 | 0.032 |
| 760 | 0.012 |
| 761/2 | 0.040 |
| 762 | 0.012 |
| 763/4, 764/4 | 0.020 |
| 765/2 | 0.012 |
| 766/2 | 0.008 |
| 767 | 0.008 |
| 768 | 0.008 |
| 769/3 | 0.008 |
| 770/2 | 0.020 |
| 771/2 | 0.016 |
| 789 | 0.012 |
| 790/4 | 0.004 |
| 791 | 0.008 |
| 775 | 0.012 |
| 776/2 | 0.008 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 777/3 | 0.008 |
| 778 | 0.008 |
| 779/5ग | 0.004 |
| 780/2 | 0.004 |
| 781/5 | 0.008 |
| 782/8 | 0.004 |
| 783 | 0.016 |
| 784/2 | 0.008 |
| 785 | 0.008 |
| 786 | 0.040 |
| 787/3 | 0.008 |
| 788 | 0.008 |
| 792 | 0.004 |
| 796 | 0.012 |
| 797 | 0.020 |
| 798/4 | 0.012 |
| 799/1 | 0.012 |
| 799/2 | 0.012 |
| 799/3 | 0.008 |
| 800/1 | 0.020 |
| 800/2 | 0.012 |
| 801/2 | 0.004 |
| 802 | 0.012 |
| 803 | 0.016 |
| 804/2 | 0.004 |
| योग 95 | 2.263 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महानदी पर निर्माणाधीन मिरौनी बैराज के अन्तर्गत डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक/5582/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-मिरौनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.195 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर<br>(1) | रकबा<br>(हेक्टेयर में)<br>(2) |
|---|---|
| 333/1 | 0.061 |
| 333/2 | 0.057 |
| 334/2क, 335/2क | 0.081 |
| 334/2ख, 335/2ख | 0.081 |
| 334/3, 335/3 | 0.045 |
| 353/1 | 0.065 |
| 353/2 | 0.065 |
| 353/4 | 0.065 |
| 354/1 | 0.336 |
| 354/5 | 0.113 |
| 553/3 | 0.061 |
| 575/1 | 0.016 |
| 575/2 | 0.008 |
| 575/3 | 0.016 |
| 575/4 | 0.008 |
| 575/5 | 0.053 |
| 576/1 | 0.049 |
| 576/2 | 0.053 |
| 577/1 | 0.049 |
| 577/2 | 0.053 |
| 578 | 0.101 |
| 581/1, 582/1 | 0.073 |
| 581/2, 582/2 | 0.077 |
| 581/3, 582/3 | 0.077 |
| 581/4, 582/4 | 0.008, 0.065 |
| 704 | 0.053 |
| 705/1 | 0.053 |
| 705/3 | 0.028 |
| 705/4 | 0.024 |
| 746/1 | 0.145 |
| 749/1 | 0.332 |
| 705/5 | 0.109 |
| 718 | 0.283 |
| 719 | 0.332 |
| 722/1 | 0.053 |
| 726/1 | 0.145 |
| 727/1 | 0.016 |
| 727/2 | 0.024 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 728/1 | 0.020 | 816/1 | 0.008 |
| 728/2 | 0.020 | 818/4 | 0.045 |
| 728/3 | 0.024 | 834/1, 835/1 | 0.008 |
| 728/4 | 0.032 | 835/3 | 0.008 |
| 728/5 | 0.032 | 835/4 | 0.012 |
| 728/6 | 0.008 | 837/1 | 0.008 |
| 729 | 0.085 | 837/2 | 0.008 |
| 730/1 | 0.186 | 837/3 | 0.012 |
| 730/2 | 0.065 | 838/1 | 0.004 |
| 730/3 | 0.065 | 838/2 | 0.008 |
| 730/4 | 0.061 | 839 | 0.065 |
| 731/1 | 0.117 | 840 | 0.008 |
| 731/3 | 0.113 | 844/3 | 0.085 |
| 732/1 | 0.141 | 844/4 | 0.053 |
| 737 | 0.125 | 844/5 | 0.049 |
| 739 | 0.061 | 845 | 0.049 |
| 740 | 0.061 | 846 | 0.053 |
| 741/3 | 0.028 | 847/1 | 0.032 |
| 741/6 ख | 0.008 | 847/2 | 0.028 |
| 741/6 ग | 0.008 | 847/3 | 0.028 |
| 741/6 घ | 0.004 | 847/4 | 0.032 |
| 741/7 | 0.032 | 847/5 | 0.032 |
| 844/1 | 0.053 | 848 | 0.133 |
| 844/2 | 0.049 | 849/1 | 0.093 |
| 780/3 | 0.145 | 849/2 | 0.093 |
| 782/1 | 0.093 | 851, 868 | 0.012 |
| 782/3 | 0.093 | 852/1 | 0.008 |
| 798/1 | 0.105 | 852/2 | 0.008 |
| 799 | 0.121 | 853 | 0.016 |
| 801/1 | 0.016 | 854 | 0.081 |
| 801/2 | 0.012 | 869 | 0.089 |
| 801/3 | 0.028 | 870/1, 871/1 | 0.016 |
| 801/4 | 0.028 | 870/2, 871/2 | 0.020 |
| 801/5 | 0.028 | 870/3, 871/3 | 0.020 |
| 802 | 0.089 | 870/4, 871/4 | 0.036 |
| 803 | 0.053 | 870/5, 871/5 | 0.020 |
| 805/1 क | 0.004 | 917/1 | 0.004 |
| 805/1 ख | 0.004 | 917/5 | 0.020 |
| 805/2 | 0.012 | 918 | 0.008 |
| 807 | 0.012 | 919 | 0.008 |
| 809 | 0.012 | 922 | 0.016 |
| 810 | 0.020 | 923/1 | 0.012 |
| 812 | 0.040 | 925/1 | 0.012 |
| 814/3 | 0.008 | 925/3 | 0.012 |
| 814/4 | 0.020 | 927 | 0.073 |
| 815/1 | 0.036 | | |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 942/1 | 0.040 |
| योग 130 | 7.195 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महानदी पर निर्माणाधीन मिरौनी बैराज के अन्तर्गत डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक/5584/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-अमोदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-29.276 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 501/1 | 0.057 |
| 502 | 0.081 |
| 506 | 0.162 |
| 528 | 0.166 |
| 529 | 0.149 |
| 530 | 0.182 |
| 531 | 0.141 |
| 532 | 0.182 |
| 533/1 | 0.049 |
| 533/2 | 0.045 |
| 533/3 | 0.045 |
| 533/4 | 0.045 |
| 534/1 | 0.226 |
| 540/1 | 0.077 |
| 540/3 | 0.073 |
| 540/4 | 0.036 |
| 540/5 | 0.036 |
| 541 | 0.194 |
| 542 | 0.562 |
| 545/1 | 0.315 |
| 546 | 0.263 |
| 547 | 0.145 |
| 548 | 0.182 |
| 549 | 0.077 |
| 550 | 0.085 |
| 551 | 0.336 |
| 552/1 | 0.121 |
| 552/2 | 0.121 |
| 552/3 | 0.121 |
| 553/1 | 0.105 |
| 553/2 | 0.101 |
| 654/2 | 0.024 |
| 654/4 | 0.008 |
| 654/5/2 घ | 0.024 |
| 553/3 | 0.105 |
| 588/9 | 0.166 |
| 589/1 | 0.036 |
| 589/2 | 0.040 |
| 589/3 | 0.040 |
| 589/4 | 0.040 |
| 589/5 | 0.040 |
| 589/6 | 0.036 |
| 590/1 | 0.117 |
| 590/2 | 0.117 |
| 591 | 0.336 |
| 592 | 0.263 |
| 630/1 | 0.101 |
| 631/1 | 0.020 |
| 631/3 | 0.020 |
| 632/1 | 0.202 |
| 634/1 | 0.036 |
| 634/2 | 0.012 |
| 634/3 | 0.012 |
| 634/4 | 0.012 |
| 634/5 | 0.036 |
| 635/2 ङ | 0.081 |
| 635/2 ख | 0.081 |
| 635/1 घ | 0.081 |
| 649/1 | 0.656 |
| 650 | 0.137 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 652 | 0.530 | 1081/2 | 0.065 |
| 653/1 | 0.162 | 1081/3 | 0.065 |
| 654/1 क/1 | 0.004 | 1081/4 | 0.065 |
| 654/1 क/2 | 0.004 | 1097/1 | 0.024 |
| 654/1 ख | 0.008 | 1097/2 | 0.024 |
| 1097/6 | 0.065 | 1097/3 | 0.024 |
| 1097/7 | 0.065 | 1097/4 | 0.020 |
| 1097/8 | 0.024 | 1097/5 क | 0.016 |
| 654/6 | 0.008 | 1097/9 | 0.024 |
| 654/7 | 0.008 | 1097/10 | 0.020 |
| 742 | 0.162 | 1097/11 | 0.020 |
| 747/2 | 0.206 | 1097/12 | 0.020 |
| 747/3 | 0.069 | 1097/13 | 0.129 |
| 747/4 | 0.069 | 1100/1 | 0.004 |
| 1036 | 0.105 | 1100/2 | 0.004 |
| 1052 | 0.826 | 1121 | 0.093 |
| 1053/1 | 0.109 | 1123/1 | 0.324 |
| 1053/2 | 0.109 | 1159/2 | 0.243 |
| 1053/3 | 0.109 | 1160/1 | 0.113 |
| 1054 | 0.838 | 1161 | 0.153 |
| 1055/1 | 0.024 | 1162 | 0.166 |
| 1055/2 | 0.024 | 1163/1 | 0.053 |
| 1055/3 | 0.097 | 1163/2 | 0.057 |
| 1055/4 | 0.081 | 1164/3 | 0.287 |
| 1056 | 0.234 | 1164/4 | 0.141 |
| 1070/4 | 0.049 | 1164/5 | 0.141 |
| 1072 | 0.445 | 1164/6 | 0.141 |
| 1073/1 | 0.149 | 1164/7 | 0.283 |
| 1073/2, 1073/3 | 0.053 | 1164/8 | 0.145 |
| 1073/4 | 0.149 | 1165 | 0.194 |
| 1073/5 | 0.049 | 1166/1 | 0.133 |
| 1073/6 | 0.049 | 1166/2 | 0.137 |
| 1074/1 | 0.364 | 1166/3 | 0.138 |
| 1075 | 0.259 | 1167/1 | 0.036 |
| 1076 | 0.182 | 1167/2 | 0.036 |
| 1077 | 0.162 | 1167/3 | 0.032 |
| 1078/2 | 0.202 | 1167/4 | 0.101 |
| 1079 | 0.558 | 1168 | 0.129 |
| 1080/1 क | 0.093 | 1169/1 | 0.210 |
| 1080/1 ख | 0.097 | 1169/2 | 0.069 |
| 1080/1 ग | 0.093 | 1169/3 | 0.069 |
| 1080/2 | 0.283 | 1169/4 | 0.073 |
| 1080/3 | 0.283 | 1171/2 | 0.190 |
| 1080/4 | 0.141 | 1172/1 | 0.206 |
| 1080/5 | 0.283 | 1172/2 | 0.069 |
| 1080/6 | 0.141 | 1172/3 | 0.073 |
| 1081/1 | 0.186 | 1172/4 | 0.069 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 1174 | 0.356 |
| 1175/1 | 0.133 |
| 1175/2, 1175/3 | 0.045 |
| 1175/4 | 0.137 |
| 1175/5 | 0.045 |
| 1175/6 | 0.045 |
| 1176/2 | 0.053 |
| 1176/3 | 0.024 |
| 1176/4 | 0.028 |
| 1176/5 | 0.028 |
| 1176/6 | 0.053 |
| 1176/7 | 0.024 |
| 1177 | 0.396 |
| 1178/1 | 0.093 |
| 1178/3 | 0.065 |
| 1178/4 | 0.061 |
| 1179 | 0.380 |
| 1180 | 0.384 |
| 1181 | 0.643 |
| 1182/1 | 0.206 |
| 1182/2 | 0.105 |
| 1182/3 | 0.101 |
| 1182/4 | 0.210 |
| 1183 | 0.623 |
| 1184/1 | 0.287 |
| 1184/2, 1184/3 | 0.287 |
| 1184/4 | 0.283 |
| 1185/1 | 0.053 |
| 1185/2, 1185/3 | 0.049 |
| 1185/4 | 0.049 |
| 1186 | 0.162 |
| 1187/1 | 0.053 |
| 1187/2 | 0.024 |
| 1187/3 | 0.028 |
| 1187/4 | 0.053 |
| 1188 | 0.202 |
| 1189 | 0.125 |
| 1190 | 0.028 |
| 1191 | 0.328 |
| 1192 | 0.368 |
| 1193 | 0.648 |
| 1190/3 | 0.028 |
| 1190/4 | 0.049 |
| 1194/1 | 0.125 |
| 1194/2 | 0.125 |
| 1194/3 | 0.255 |
| 1234/1 क | 0.162 |
| 1234/1 ख | 0.157 |
| 1234/3 | 0.053 |
| 1234/4 | 0.053 |
| 1234/5 | 0.053 |
| 1242/1 | 0.186 |
| 1242/2 | 0.186 |
| 1242/3 | 0.182 |
| योग 208 | 29.276 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महानदी पर निर्माणाधीन मिरौनी बैराज के अन्तर्गत डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक/5586/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-परसदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.361 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 1037/1 | 0.032 |
| 1037/2 | 0.061 |
| 1037/3 | 0.028 |
| 1038 | 0.069 |
| 1039/1 | 0.032 |
| 1039/2 | 0.028 |
| 1040 | 0.045 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 1041/1 | 0.012 | 1364 | 0.202 |
| 1041/2 | 0.008 | 1365/1 | 0.053 |
| 1046/1 | 0.016 | 1365/2 | 0.053 |
| 1056 | 0.012 | 1365/3 | 0.049 |
| 1207/3 | 0.016 | 1366 | 0.057 |
| 1207/4 | 0.040 | 1367 | 0.142 |
| 1232/1 | 0.040 | 1369/2 | 0.081 |
| 1279/2 | 0.045 | 1400 | 0.158 |
| 1287 | 0.032 | 1403 | 0.057 |
| 1288 | 0.032 | 1408/1, 1409/1 | 0.028 |
| 1289 | 0.040 | 1408/2, 1409/2 | 0.073 |
| 1290/1 | 0.020 | 1408/3, 1409/3 | 0.061 |
| 1290/2 | 0.012 | 1468 | 0.113 |
| 1291 | 0.073 | 1469 | 0.081 |
| 1293/1 | 0.089 | 1470 | 0.142 |
| 1298, 1583/2 | 0.283 | 1471/1 | 0.020 |
| 1333/1 | 0.117 | 1471/2 | 0.040 |
| 1333/2 | 0.117 | 1471/3 | 0.040 |
| 1333/3 | 0.113 | 1471/4 | 0.032 |
| 1333/4 | 0.113 | 1471/5 | 0.020 |
| 1334 | 0.166 | 1472 | 0.109 |
| 1335 | 0.393 | 1473/1 | 0.012 |
| 1337 | 0.813 | 1473/2 | 0.008 |
| 1340/4 | 0.053 | 1473/3 | 0.012 |
| 1347/1 | 0.069 | 1473/4 | 0.008 |
| 1347/2 | 0.069 | 1473/5 | 0.012 |
| 1347/3 | 0.065 | 1473/6 | 0.012 |
| 1348/1 | 0.032 | 1473/7 | 0.012 |
| 1348/2 | 0.036 | 1473/8 | 0.012 |
| 1349/1 | 0.081 | 1473/9 | 0.020 |
| 1349/2 | 0.077 | 1473/10 | 0.008 |
| 1351/1 | 0.040 | 1473/11 | 0.008 |
| 1351/2 | 0.040 | 1473/12 | 0.004 |
| 1353/1 | 0.077 | 1473/13 | 0.016 |
| 1353/2 | 0.12 | 1474/1 | 0.134 |
| 1353/3 | 0.012 | 1474/2 | 0.105 |
| 1353/4 | 0.012 | 1476/1 | 0.069 |
| 1353/5 | 0.040 | 1476/3 | 0.279 |
| 1356 | 0.097 | 1477 | 0.085 |
| 1357/1 | 0.028 | 1497 | 0.121 |
| 1358 | 0.008 | 1498/2, 1501/2 | 0.040 |
| 1363/1 | 0.028 | 1498/3, 1501/3 | 0.097 |
| 1363/2 | 0.028 | 1498/4, 1501/4 | 0.045 |
| 1363/3 | 0.028 | 1498/5, 1501/5 | 0.093 |
| 1363/4 | 0.028 | 1498/6, 1501/6 | 0.040 |
| 1363/5 | 0.109 | 1503/1 | 0.081 |
|  |  | 1503/2 | 0.081 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 1506 | 0.182 |
| 1509 | 0.129 |
| 1510 | 0.065 |
| 1511/1 | 0.016 |
| 1511/2 | 0.032 |
| 1511/3 | 0.016 |
| 1512 | 0.129 |
| 1572 | 0.097 |
| 1573 | 0.121 |
| 1574 | 0.040 |
| 1578 | 0.032 |
| 1571/1 | 0.097 |
| 1571/2 | 0.093 |
| 1583/10 | 0.028 |
| 1583/11 | 0.016 |
| 1583/12 | 0.008 |
| 1583/13 | 0.016 |
| 1583/3 क | 0.024 |
| 1583/3 ख | 0.024 |
| 1583/4 | 0.016 |
| 1583/5 | 0.020 |
| 1583/6 क | 0.020 |
| 1583/6 ख | 0.020 |
| 1583/7 | 0.097 |
| 1583/8 | 0.016 |
| 1583/9 | 0.016 |
| योग 126 | 8.361 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महानदी पर निर्माणाधीन मिरौनी बैराज के अन्तर्गत डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ओ. पी. चौधरी,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

# विभाग प्रमुखों के आदेश

## कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी)बोर्ड
### बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2016

क्रमांक/बी-8/32 (2)/भा.अधि./2015-16/8095.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/7574-7575 दिनांक 17-02-2011 द्वारा श्री के. एन. डडसेना, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बरमकेला को कृषि उपज मंडी समिति बरमकेला जिला-रायगढ़ का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर-जिला रायगढ़ के पत्र क्रमांक/मंडी/भार.अधि./2015-16/1402 दिनांक 05-03-2016 द्वारा श्री रामसिंह पटेल, कृषि विकास अधिकारी को कृषि उपज मंडी समिति बरमकेला में भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री के. एन. डडसेना, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बरमकेला के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण, उनके स्थान पर श्री रामसिंह पटेल, कृषि विकास अधिकारी को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति बरमकेला जिला-रायगढ़ का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2016

क्रमांक/बी-8/32 (2)/भा.अधि./2015-16/8113.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2014-15/4868-4869 दिनांक 02-12-2014 द्वारा श्री ओमप्रकाश वर्मा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड को कृषि उपज मंडी समिति पेण्ड्रारोड जिला-बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर-जिला बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/वित्त-1/2015/6471/दिनांक 30-12-2015 द्वारा सुश्री नम्रता गांधी भा.प्र.से., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को कृषि उपज मंडी समिति पेण्ड्रा में भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री ओमप्रकाश वर्मा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड के स्थान पर सुश्री नम्रता गांधी भा.प्र.से. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति पेण्ड्रारोड जिला-बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2016

क्रमांक/बी-8/32 (2)/भा.अधि./2016-17/283.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/6313-14 रायपुर दिनांक 29-12-2012 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को कृषि उपज मंडी समिति रामानुजगंज जिला बलरामपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

संयुक्त संचालक संभागीय कार्यालय अंबिकापुर के पत्र क्रमांक 26 दिनांक 06-04-2016 द्वारा सचिव कृषि उपज मंडी समिति रामानुजगंज जिला-बलरामपुर के प्रस्ताव अनुसार श्री जी. एस. तोमर सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी रामानुजगंज को कृषि उपज मंडी समिति रामानुजगंज के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री पी. आर. निर्मल डिप्टी कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज का स्थानान्तरण होने के कारण उनके स्थान पर श्री जी. एस. तोमर सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी रामानुजगंज, जिला बलरामपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति रामानुजगंज जिला बलरामपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2016

क्रमांक/बी-8/32 (2)/भा.अधि./2016-17/306.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2015-16/586-587 दिनांक 28-04-2015 द्वारा श्री बी. आर. देवांगन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आरंग-अभनपुर को कृषि उपज मंडी समिति नवापारा जिला-रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

अपर कलेक्टर रायपुर का पत्र क्रमांक/उ.लि. 1/2015/1252-1253 रायपुर दिनांक 29-02-2016 द्वारा श्री संजय दीवान, संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अभनपुर को कृषि उपज मंडी समिति नवापारा जिला-रायपुर के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री बी. आर. देवांगन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आरंग-अभनपुर का स्थानान्तरण होने के कारण उनके स्थान पर श्री संजय दीवान, संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अभनपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति नवापारा जिला-रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

**नरेन्द्र कुमार शुक्ल,**
प्रबंध संचालक.